



ग्रामीण विकास
को समर्पित


कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 55 अंक : 5

मार्च 2009

मूल्य : 10 रुपये



ग्रामीण महिलाएं

अब
उपलब्ध है

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2009

देश के विकास की
विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए



मूल्य: 345 रुपये

- * अर्थव्यवस्था
- * विज्ञान और तकनीक
- * सामाजिक विकास
- * राजनीति
- * शिक्षा
- * कला और संस्कृति

अपनी प्रति यहां से खरीदें :

हमारे विक्रय केंद्र • नई दिल्ली (फोन 24365610, 24367260) • दिल्ली (फोन 23890205) • कोलकाता (फोन 22488030)
• नवी मुंबई (फोन 27570686) • चेन्नई (फोन 24917673) • तिरुवनंतपुरम (फोन 2330650) • हैदराबाद (फोन 24605383)
• बंगलूर (फोन 25537244) • पटना (फोन 2683407) • लखनऊ (फोन 2325455) • गोवाहाटी (फोन 26656090)
• अहमदाबाद (फोन 26588669)

प्रतियां प्रमुख पुस्तक केंद्रों में भी उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

फोन. 011-24365610, 24367260, फैक्स: 24365609

ईमेल: dpd@mail.nic.in

dpd@sb.nic.in

वेबसाइट: www.publicationsdivision.nic.in



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

DPDB-11-09/2

KH-3/09/05



कुरुक्षेत्र

वर्ष : 55 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48, फाल्गुन-चैत्र 1931, मार्च 2009

वरिष्ठ सम्पादक
कैलाश चन्द मीना

सम्पादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र-व्यवहार
वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली-110011

दूरभाष : 23061014, 23061952

फैक्स : 011-23061014, तार : ग्राम विकास

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

ई-मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये

वार्षिक शुल्क : 100 रुपये

द्विवार्षिक : 180 रुपये

त्रिवार्षिक : 250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)

अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

□ ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान	डॉ. नीरज कुमार गौतम	3
□ कल्याणकारी योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण	जागृति	8
□ महिलाओं संबंधी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा	डॉ. जगबीर कौशिक	13
□ छत्तीसगढ़ की 'मदर टेरेसा' फुलबासन	डॉ. एस.के.मिश्रा	17
□ ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं की जरूरतों को समझना होगा	वंदना भट्टाचार्य	21
□ मोजड़ी का काम- मनचाहे दाम	प्रेरणा अग्रवाल	25
□ विदर्भ की महिलाओं की पथप्रदर्शक	कन्हैया त्रिपाठी	29
□ महिलाओं के लिए वरदान है सोलर कुकर	डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल	31
□ किसानों की अपनी सब्जीमण्डी	राम प्रसाद	37
□ अनाट की पैदावार बढ़ाने की तकनीक	डॉ. राकेश कुमार प्रजापति	39
□ ग्रामीण भारत में औषधीय खजाना	मनोज कुमार एवं ओम प्रकाश जोशी	44
□ जुझारू महिला किसान ने की जन जागरण की पैरवी	जितेन्द्र द्विवेदी	47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज अनवरत संघर्ष के बूते देश में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़कर हर क्षेत्र में स्वयं को पुरुषों के समकक्ष साबित किया है। जहां शहरों में महिलाएं बुद्धि के हर क्षेत्र में स्वयं को पुरुषों के बराबर साबित कर रही हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं में साक्षरता बढ़ी है और वे स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। वे गांवों में पंचायत स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। वे नए जोश के साथ रसोईघर की दहलीज लांघकर सामाजिक दायित्व निभाती दिखाई पड़ रही हैं। अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए महिलाओं ने गरीबी और सामाजिक बंधनों को भी तोड़ा है। ये सुधार जाहिर तौर पर महिलाओं में चेतना के प्रतीक हैं।

वर्तमान में देश में करीब सात लाख स्वयंसहायता समूह कार्यरत हैं। महिलाओं ने स्वयंसहायता समूहों के रूप में एकजुट कार्य करते हुए अपनी सफलता के झंडे तकरीबन हर गांव-हर कस्बे में गाढ़ दिए हैं। इन संगठनों को विविध सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, केयर, यूएनडीपी आदि के तहत सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

उपलब्धियों और विकास एवं उत्थान के लंबे सफर के बावजूद अभी भी लाखों-करोड़ों महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। इनमें ग्रामीण महिलाओं की संख्या ज्यादा है चूंकि उनमें अभी साक्षरता की कमी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसी महिलाओं को ही लक्षित कर कई योजनाएं बनाई हैं। जहां गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई योजना, पूरक पोषण आहार योजना, जननी सुरक्षा योजना जैसी कई योजनाएं हैं वहीं लाडली और लक्ष्मी योजना लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर जीवन देने की सार्थक कोशिश है। गांव की प्रतिभाशाली बेटों की उच्च शिक्षा के लिए गांव की बेटों योजना और गरीब बालिकाओं के लिए साइकिल प्रदाय योजना अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हैं। राष्ट्रीय बालनीति के तहत भी लगभग 4600 परियोजनाएं देशभर में चल रही हैं।

सरकार ने जनवरी 2006 से महिला और बाल विकास विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया है और मंत्रालय का अब स्वतंत्र राज्यमंत्री है। मंत्रालय की पहल पर महिलाओं और बच्चों के लिए हाल-फिलहाल में धनलक्ष्मी, उज्ज्वला, प्रियदर्शिनी आदि कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इस वर्ष से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी घोषित किया गया है।

एक तरफ महिलाएं सीढ़ी-दर-सीढ़ी प्रगति की ओर कदम बढ़ा रही हैं तो दूसरी ओर आज भी बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराईयां हमारे समाज में बड़े पैमाने पर विद्यमान हैं। हालांकि इनकी तादाद में जरूर कमी आई है। यही नहीं महिलाओं में जागरुकता आई है, वे इन रूढ़ियों से लड़ना चाहती हैं, वे पढ़ना-लिखना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। उनमें कुछ कर दिखाने का जज़्बा भी है और साहस भी।



ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान

डा. नीरज कुमार गौतम

आज के आर्थिक युग में महिलाएं अधिक स्वावलंबी हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा है। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। बदलाव की ये बयार केवल शहरी महिलाओं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति भी पहले की अपेक्षा काफी सुधरी है। वे पढ़-लिख रही हैं, वे रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ने को आतुर हैं और संगठित होकर आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। जागरूकता बढ़ने से वे गांवों के विकास में भी अपना योगदान कर रही हैं।

भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नारी ने सदैव ही पुरुष के साथ सहधर्मिणी का रूप निभाया है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी शारदा देवी का है, जिन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। इसमें न केवल उन्होंने पति की सहधर्मिता

निभाई थी, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी। इस प्रकार से मैत्रेयी, गार्गी, सीता, अनुसूया, सावित्री, द्रौपदी आदि विदुषी महिलाओं के नामों से हमारा इतिहास भरा हुआ है। मध्यकालीन भारत में अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई ने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में राजनीति के क्षेत्र में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और इंदिरा गांधी भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी हैं।

वर्तमान में नारियां जिन पदों पर कार्य कर रही हैं, उनमें वे पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दे रही हैं। जहां सेवाभाव इनकी मूल धरोहर है वहीं वे शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन, सुरक्षा, जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वे पुलिस अधिकारी, पायलट, जलपोत संचालक आदि के दायित्वों को संभाल रही हैं। महिलाओं ने अनवरत संघर्ष करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़कर हर क्षेत्र में अपने को पुरुषों के समकक्ष साबित किया है। सच यह है कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, उनमें जागरुकता नहीं आएगी, उन्हें परम्परागत कार्यों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उन्हें समाज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, अपनी भूमिका अदा करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वे समाज व देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकती। माना कि कुछ वर्षों से ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है पर जब तक उनके हाथ में आय नहीं होगी और इसके लिए उन्हें रोजगार सम्पन्न नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका जीवन जैसा का तैसा ही रहेगा।

स्वरोजगार के मामले में वे अभी पुरुष से बहुत पीछे हैं। उनके मानस पटल पर स्वरोजगार और उद्यमिता की लकीरें अभी खिंच नहीं पाई हैं। प्रश्न यह है कि आखिर महिलाएं विशेषतौर से ग्रामीण महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं आती हैं। उनके पास वर्ष के अधिकांश समय चूल्हे-चौके के सिवाय कोई काम नहीं होता है। फिर वे अपने समय का सदुपयोग करने की बात क्यों नहीं सोचती। क्या उनमें पैसा कमाने की ललक नहीं है। वास्तव में सामाजिक-आर्थिक कारक व्यक्ति की उद्यमिता भावना को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों व परम्पराओं की परिधि में जीता है। ये मूल्य और परम्पराएं उसके जीवन में बहुत गहराई तक समाए रहते हैं। हमारे मूल्य, हमारी परम्पराएं महिलाओं को बचपन से ही भेदभाव का शिकार बना देती हैं। हर मामले में लड़कों के सामने लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। चाहे खानपान का मामला हो या फिर शान-शौकत का या पढ़ाई-लिखाई का या बीमार होने में दवा-दारु का हर वक्त, हर जगह महिलाओं को दौयम दर्जे का नागरिक माना जाता है।

यह सच है कि आज के आर्थिक युग में महिलाएं अधिक स्वावलंबी हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ा है। अपने अधिकारों के प्रति वे सचेत हुई हैं मगर महिलाओं में आर्थिक क्रान्ति की लहर अधिकतर शहरों में ही देखने को मिलती है। यह नहीं कि ग्रामीण महिला कामकाजी नहीं हैं परन्तु फिर भी वे आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका असंगठित होना। ग्रामीण महिला अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं।

इसलिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असुरक्षात्मक माहौल में कठोर श्रम के बावजूद उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और उन्हें दूसरी कई सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति एवं स्तर का आकलन करना अति आवश्यक है। समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यह जनसंख्या कृषि, कुटीर उद्योग, हथकरघा जैसे कार्यों से जुड़ी हुई है। देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य बुवाई, निदाई-गुड़ाई, चारे की कटाई, अनाज निकलवाने आदि तक सीमित हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं मुर्गीपालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन के कार्य भी करती हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय-समय पर नीतियों का निर्माण किया है। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला और बाल विकास विभाग गठित किया गया है। 2006 से इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के विकास की देखरेख करने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है, महिलाओं के बारे में कानून बनाता है और उनमें संशोधन करता है और महिलाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के संगठनों के प्रयासों का दिशा-निर्देशन और समन्वय करता है। इसके अलावा विभाग महिलाओं के लिए कुछ अभिनव कार्यक्रमों को भी लागू करता है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, रोजगार और आमदनी बढ़ाने, कल्याण और सहायक सेवाओं तथा जागरुकता पैदा करने और महिलाओं में चेतना जगाने के क्षेत्र में होते हैं। इन सब कार्यक्रमों का अंतिम उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। भारत में ग्रामीण विकास, रोजगार संवर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए तथा महिला के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

समेकित बाल परियोजना - हर मां और बच्चा स्वस्थ और सुपोषित बन सके इसके लिए हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कई सुविधायें और सेवायें दी जा रही हैं। 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं इसका लाभ ले सकते हैं। भांति-भांति के व्यंजन का पोषक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य

जांच, वजन, खेल-खेल में पढ़ाई और सरकारी योजनाओं का लाभ आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं।

पूरक पोषण आहार योजना – आंगनबाड़ी केन्द्र में तरह-तरह के मीठे-नमकीन स्वादिष्ट व्यंजन रोज बांटे जाते हैं। 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं आंगनबाड़ी केन्द्र पर यह लाभ ले सकते हैं।

गोद भराई योजना – गर्भवती महिला की पूरी देखभाल एवं सुरक्षित प्रसव के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीयन कराकर गोद भराई योजना का लाभ दिया जाता है। माह में प्रति मंगलवार आपके गांव-शहर की आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला की गोद भराई होती है और उसे उपहार, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, आयरन की गोलियां, पोषण-स्वास्थ्य सलाह पर गर्भवती महिला के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड – आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चे का मातृ शिशु रक्षा कार्ड बनाया जाता है। इससे मां और बच्चे को टीका लगाया जाता है। दोनों का नियमित वजन और देखभाल की जाती है।

अति गरीब महिलाओं को प्रसव-पूर्व सहायता राशि – यदि गर्भवती महिला गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की है, उसकी उम्र 19 साल हो गई है और उसका यह पहला या दूसरा प्रसव है तो ए.एन.एम. या आंगनबाड़ी केन्द्र पर योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह पूर्व 500 रुपये की सहायता मिलती है।

जननी सुरक्षा योजना – अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिये यह योजना चलाई जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की गर्भवती महिला यदि अस्पताल में प्रसव कराती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 700 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 600 रुपये नगद दिये जाते हैं। गर्भवती को अस्पताल लाने वाले प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में 600 रुपये और शहरी क्षेत्र में 200 रुपये दिये जाते हैं।

प्रसव परिवहन एवं उपचार योजना – प्रसव अस्पताल में ही कराएं। अपने घर के पास के अस्पताल तक जाने के लिये सरकार गर्भवती को 300 रुपये देती है। साथ ही प्रेरक को भी 200 रुपये दिये जाते हैं। यदि गर्भवती को किसी कारण से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है तो फिर से 300 रुपये दिये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की सभी महिलाएं और अन्य वर्गों की गरीबी रेखा के नीचे की महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं।

प्रसव सहयोगी योजना – इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के लेबर रूम में प्रसव के दौरान परिवार की एक अनुभवी महिला सदस्य को अपने साथ रखने का अधिकार है।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम – बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी टीके अवश्य लगवायें और उन्हें बीमारियों, परेशानियों से बचायें। सभी टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं।

अन्नप्राशन योजना – अपने बच्चों को स्वस्थ-तंदुरुस्त बनाने के लिए अन्नप्राशन योजना का लाभ दिया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र में हर माह के दूसरे मंगलवार को 6 माह का होने पर बच्चे का अन्नप्राशन कराकर उसे उपहार दिये जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये पास के आंगनबाड़ी केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।

जन्म दिवस योजना – आंगनबाड़ी केन्द्र में हर माह के तीसरे मंगलवार को बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं।

लाडली लक्ष्मी योजना – अपनी बिटिया को लखपति बनायें यानी उसे लाडली योजना का लाभ दिलवायें। योजना में बालिका को 6वीं कक्षा में 2000 रुपये, 9वीं कक्षा में 4000 रुपये, 10वीं कक्षा में 7500 रुपये और 11वीं से 200 रुपये प्रति माह दो वर्ष तक दिए जाएंगे। हां, 21 वर्ष की होने पर हमारी बिटिया को मिलेंगे पूरे एक लाख रुपये।

किशोरी बालिका दिवस योजना – किशोरियों की देखभाल, संतुलित आहार, स्वास्थ्य एवं आर्थिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रति माह चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। सभी किशोरियों को इसका लाभ दिया जाता है।

प्राथमिक शाला में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बालिकाओं को गणवेश – अनुसूचित जाति की बालिकाएं, जो कि कक्षा एक से पांच में पढ़ रही हैं, उन्हें निःशुल्क गणवेश प्रदान किए जाते हैं।

गांव की बेटी योजना – प्रतिभाशाली गांव की बेटी की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा सर्वश्रेष्ठ अंकों से पास करने वाली एक बालिका को इस योजना का लाभ दिया जाता है। पात्र बालिका को 500 रुपये प्रतिमाह (शैक्षणिक सत्र) यानि कुल 500 रुपये प्रति वर्ष की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

साइकिल प्रदाय योजना – हमारी बेटी का स्कूल गांव से भले ही दूर है पर वह आगे पढ़ सकती है। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की बालिकाओं को सरकार मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना – अनुसूचित जाति की ऐसी लड़कियां जो कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश ले रही हैं, उन्हें सरकार प्रोत्साहन के रूप में क्रमशः 500 रुपये, 1000 रुपये एवं 2000 रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराती है।

महिला खेलकूद प्रतियोगिता – महिलाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं प्रतिभाओं का चयन करने के लिए विकासखण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर तरह-तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – योजना के तहत निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता को सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विवाह हेतु 5000 रुपये लड़की की गृहस्थी के लिये एवं 1000 रुपये सामूहिक विवाह हेतु दिये जाते हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय से योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जाति कन्या विवाह के लिए "सौभाग्यवती योजना" – अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों का विवाह सरकार कराएगी। इस हेतु कन्या के माता-पिता को शादी के लिए 5000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

समस्याग्रस्त महिलाओं की सहायता – कभी-कभी घरेलू सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण महिलाएं संकट में आ जाती हैं और उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत होती है। ऐसी महिलाओं के लिए राज्य सरकार स्वयं और स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से कुछ संस्थाएं चला रही हैं।

सरकारी संस्थाओं में प्रमुख नारी निकेतन संस्थाएं हैं जो ग्वालियर, सतना, जबलपुर और उज्जैन में चलाई जा रही हैं। यहां कोई भी संकटग्रस्त या निराश्रित महिला आकर रह सकती है, जहां उसकी सुरक्षा, खानपान, इलाज प्रशिक्षण और पुनर्वास की निःशुल्क व्यवस्था है। ग्वालियर में एक राजकीय अनुरक्षण गृह भी है, जहां अनाथालयों, बाल संरक्षण गृहों की 13 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को रखकर उनका पालन-पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास किया जाता है।

राजकीय महिला उद्धार गृह नाम की एक संस्था इन्दौर में है जहां वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को अन्य स्वरोजगार मूलक कामधंधों में लगाकर समाज में पुनःप्रतिष्ठित करने का काम किया जाता है।

महिला जागृति शिविर – महिलाओं के कानूनी अधिकार, शासकीय योजनाओं की जानकारी देने और योजनाओं का लाभ देने के लिए विकासखण्ड, ग्राम स्तर पर महिला जागृति शिविर लगाये जाते हैं। इसका लाभ सभी महिलाएं ले सकती हैं।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता – कोई भी उत्पीड़ित महिला या बच्चे जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कानूनी सलाह प्रदान की जाती है।

विपदाग्रस्त महिलाओं की पुनःस्थापना के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना – बेसहारा महिलाएं एवं उनके 6 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना के तहत आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलायी जाती है तथा पात्र हितग्राही महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं।

उषा किरण योजना – घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उषा किरण योजना लागू की गई है। योजना के तहत पीड़ित महिला को परामर्श सेवा व विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना – बाढ़, सूखा या अन्य कुदरती कारणों से गांव में रोजगार का अभाव हो जाता है। इसलिए ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा विपरीत असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। गांव वालों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाई जा रही है। इसमें हर कामकाज के दिन हर मजदूर को 5 किलो अनाज और शेष नगद राशि दी जाती है। इस योजना में गांवों में विभिन्न निर्माण के काम कराए जाते हैं, ताकि गांव की स्थिति और लोगों की माली हालत सुधरे। इस योजना में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुरक्षित रखने का प्रावधान है।

स्वाधार योजना – कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं के आश्रय एवं पुनर्वास के लिए यह योजना चलायी जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को आश्रय गृह, पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण, परामर्श एवं हेल्प लाईन आदि का प्रावधान है।

इन्दिरा आवास योजना – योजना के तहत ग्राम क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विशेषकर महिलाओं को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। इन आवासों में स्वच्छ शौचालय और धुंआरहित चूल्हों का निर्माण कराया जाता है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के स्वसहायता समूह बनाकर स्वरोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक विकासखण्ड पर गठित स्वसहायता समूहों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के होते हैं। स्वसहायता समूह द्वारा प्रथम ग्रेडिंग में उत्तीर्ण होने पर 5000 रुपये से 10000 रुपये रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाता है तथा इसका चार गुना कर कैश क्रेडिट बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

कृतिन अनुदान – सूत उत्पादन कार्य में लगी महिलाओं के लिए शासन द्वारा अतिरिक्त श्रमिकाई के रूप में 20 पैसे प्रति गुण्डी का भुगतान किया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना – शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रारंभ कराने के लिए सरकार द्वारा एक-दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत एक लाख रुपये तक की राशि पर कोई धरोहर/प्रतिभूति नहीं ली जाती है।

दीनदयाल रोजगार योजना – प्रदेश के पढ़े-लिखे बेरोजगार

युवक-युवतियों को उद्योग, सेवा, व्यवसाय के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों/वित्त संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण में अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा कराने में सहायता देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ ऐसा कोई भी मध्यप्रदेश का मूल निवासी ले सकता है, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, 10 वीं कक्षा या आई.टी.आई. पास है, परिवार की कुल वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और रोजगार कार्यालय में उसका जीवित पंजीयन है। इस योजना का लाभ जिला उद्योग केन्द्र के जरिए लिया जा सकता है।

महिला डेयरी परियोजना – इस योजना को महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, डेयरी व्यवसाय में महिला भागीदारी के लिए प्रोत्साहन, दूध संकलन, संसाधन और विपणन का प्रभावी संचालन तथा दूध उत्पादकों को उचित मूल्य के भुगतान के लिए पशु पालन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसका लाभ महिला सहकारी दूध समिति की ऐसी महिलाएं जो पशु पालन एवं डेयरी व्यवसाय में रुचि रखती हो, ले सकती हैं। प्रदेश में यह योजना सीहोर, देवास, शाजापुर, मुरैना, एवं सिवनी जिलों में चलाई जा रही है।

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना— यह योजना भी अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगार लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए है। इसमें अपना कामधंधा शुरू करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है। मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट का तैंतीस प्रतिशत तक है, प्रदान की जाती है। इसमें इन जाति के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष रखी गयी है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 8वीं तक पढ़ा होना जरूरी है। इस योजना का लाभ भी जिला उद्योग केन्द्र के मार्फत लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार का ऐसा सदस्य, जो कि कमाई करता हो, की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा दस हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

दीनदयाल अंत्योदय उपचार – गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को योजना के तहत निःशुल्क उपचार का लाभ दिया जाता है। प्रति परिवार प्रतिवर्ष के मान से 20,000 रुपये की सीमा तक जांच एवं उपचार निःशुल्क कराया जाता है। यह सुविधा सभी शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध है। इसके लिए परिवार को "परिवार स्वास्थ्य कार्ड" बनवाना होता है।

उपरोक्त योजनाएं महिला के विकास को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है ताकि इससे असहाय कमजोर वर्ग की महिलाएं भी अपना विकास कर सकें तथा पिछड़ी हुई अवस्था से उभर सकें तथा समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को

रोकने के लिए इन महिलाओं की अहम भूमिका हो सकती है। अनियमित कार्य को करने वाले अथवा बढ़ावा देने वाले चाहे जन प्रतिनिधि हों, गांव के सम्भ्रान्त लोग हों अथवा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हों, उनके द्वारा पंचायतों के माध्यम से इस प्रकार के लोगों के प्रति पूरी पंचायत का ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता है तथा जनतांत्रिक तरीके से विरोध भी प्रकट किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संविधान सम्मत तरीके का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में इन महिला प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। देश की कुल जनसंख्या में यदि महिलाओं का वर्तमान अनुपात देखें तो वह 47 करोड़ पुरुषों के विपरीत लगभग 43.5 करोड़ है। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत लगभग 52 और 48 है। इसके साथ-साथ यदि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यह इनके अनुपात से बहुत ही कम होता है। देश में कुल महिला श्रमबल का प्रतिशत मात्र 22.2 है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाना होगा और इसके लिए पंचायतों की इन नवनिर्वाचित महिला जन-प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देना होगा। आर्थिक विकास की अनेकानेक योजनाओं और कार्यक्रमों से उन्हें सीधे-सीधे जोड़ना होगा।

इस कार्य में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उनके निराकरण के उपाय ढूंढने होंगे। पंचायतों के माध्यम से राजनीति में प्रवेश कर चुकी इन महिलाओं से जहां एक कुशल नेतृत्व की आशा की जाती है, वहीं राजनीति को प्रदूषण से अवमुक्त कराने की भी प्रबल अपेक्षा है। पंचायतों के निर्वाचन के बाद भी महिलाएं पहले की तरह मजदूरी व अन्य कार्य करती हैं, लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार आया है। यह सुधार महिलाओं में चेतना का प्रतीक है। कुछ शिक्षित महिलाओं ने सिलाई, ट्यूशन, कल्याण कार्यक्रमों आदि में भागीदारी जैसे काम करने भी शुरू किये हैं। इसी प्रकार विकास की ग्रामीण प्रक्रिया को देखें तो ग्रामीण विद्यालयों के उचित संचालन, स्वास्थ्य केन्द्र, दृश्य केन्द्र, बागवानी, स्वच्छता-सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों की रोशनी व दूसरे कल्याणकारी कार्यक्रमों का पंचायत की चुनी हुई महिलाएं सक्रियता से संचालन व निरीक्षण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं में अलग-अलग स्तर पर कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा जिससे विकास की सभी योजनाओं में सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर तथा विकास के कार्यक्रमों में जुड़कर कार्य करने तथा निर्णय लेने का अवसर व अनुभव प्राप्त होगा, इससे महिलाओं में राजनैतिक भागीदारी की इच्छाशक्ति का विकास होगा और उनके नेतृत्व के उभरने का रास्ता खुल जाएगा।

(लेखक शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरी, जिला सागर (म.प्र.) के अर्थशास्त्र विभाग में अतिथि विद्वान हैं।)

ई-मेल : Neeraj_Gautam76@yahoo.co.in

कल्याणकारी योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण

जागृति

महिला कल्याणकारी योजनाओं का संबंध प्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। महिला कल्याण योजनाओं की अवधारणा व्यापक है और उसे एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है जिससे हम महिला के जन्म से लेकर उसके भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और आवास संबंधी विभिन्न सुविधाओं और गतिविधियों को शामिल करते हुए देख सकते हैं। साथ ही यहां पर हम महिलाओं के समक्ष मौजूदा चुनौतियों और उनके समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कर सकते हैं। यहां इस बात पर भी गंभीरता से गौर करना होगा कि आज देश की आधी से ज्यादा महिलाएं "बालिका वधू" हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 64.7 प्रतिशत लड़कियों को 18 साल से पहले दुल्हन बनना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, 100 में से करीब 65 लड़कियों का 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर दिया जाता है। यही नहीं, 100 में से 9.1 प्रतिशत लड़कियों की शादी 12 वर्ष की उम्र तक कर दी जाती है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार भारत बालिका वधुओं के साथ बालिका मांओं का भी देश है। बालिग होने से पहले 100 में से 40 प्रतिशत लड़कियां मां बन जाती हैं। 0.6 लड़कियां तो 12 साल से पहले ही बच्चे जनना प्रारंभ कर देती हैं। निःसंदेह यह स्थिति गंभीर है। डाक्टरों का मत है कि "न तन से विकसित और न मन से विकसित" लड़की का मां बनना स्वयं उसके लिए तथा उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो घातक है ही इसके अलावा पेरेंटिंग रोल निभाने में भी वे अक्षम रहती हैं। उनमें

ममता से ज्यादा प्रतिद्विदिता दिखायी देती है क्योंकि उनकी स्वयं की तथा बच्चों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं रहता।

केन्द्र सरकार की मौजूदा महिला कल्याणकारी योजनाएं और संस्थान

महिला शिक्षा हेतु सघन पाठ्यक्रम: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षित करना है जो विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कारणों की वजह से अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं। यह योजना उन्हें शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिक/माध्यमिक और उच्च स्कूली स्तर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनुदान प्रदान करने की भी व्यवस्था है और इस हेतु बजट में उपयुक्त मात्रा में प्रावधान किया जाता है।

कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास सुविधा: इसके तहत न केवल कामकाजी महिलाओं को बल्कि रोजगार हेतु प्रशिक्षणरत तथा स्कूल पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रही बालिका विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित एवं वहनीय आवास व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यह योजना समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य एजेंसियों और महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से संचालित है।



प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता: कृषि, पशुपालन, डेयरी कार्य, मात्स्यिकी, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशमकीट पालन, सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि विकास जैसे दस पारम्परिक क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है बल्कि उनकी आय सृजन क्षमताओं में भी बढ़ोतरी होती है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड: 1953 में स्थापित यह बोर्ड देश में सामाजिक विकास के माहौल के सृजन हेतु सरकारी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के मध्य पारस्परिक सम्पर्क को बढ़ावा देता है। पिछले वर्षों में बोर्ड ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इनमें महिला तथा बालिकाओं हेतु सघन पाठ्यक्रम, जागरुकता सृजन कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवार परामर्शदात्री सेवा केन्द्र महिला मंडल तथा अल्प आवास गृहों की स्थापना करना शामिल है। इन योजनाओं को राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

अल्प आवास गृह: इसमें उन महिलाओं तथा बालिकाओं की रक्षा तथा पुनर्वास व्यवस्था शामिल है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, समाज बहिष्कृत, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक तथा नैतिक संकट का सामना कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन गतिविधियों जैसी सेवाओं और समायोजन संबंधी सामाजिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस हेतु अल्प आवास व्यवस्था में संकट में रह रही महिलाओं हेतु हेल्पलाइन सेवा की सुविधा भी प्राप्त है।

जागरुकता सृजन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के मध्य अपनी समस्याओं का पता लगाने हेतु संगठित गतिविधियों की भावना को पैदा करना और मार्ग में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना है। इसका कार्यान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से उपयुक्त बजटीय प्रावधान के साथ किया जाता है और इसमें प्रति शिविर 10,000/- रुपये की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग: इस आयोग को महिलाओं के अधिकारों तथा उनके हितों के सुरक्षापायों हेतु अधिदेश प्राप्त है और महिलाओं से संबद्ध सभी केंद्रीय तथा राज्य स्तर के कानूनों की समीक्षा भी आयोग द्वारा की जाती है। यह महिलाओं के परिवारों की सुनवाई भी करता है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका वित्तपोषण पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यहां 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी घरेलू हिंसा से संबद्ध महिला संरक्षण

संबंधी अधिनियम, 2005 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा जिसमें एक वर्ष कैद और 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय महिला कोष: 31 करोड़ रुपये की मूल राशि से 1993 में स्थापित यह कोष एक राष्ट्रीय स्तर का सूक्ष्म ऋण संस्थान है जो देश की गरीब महिलाओं को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देता है और गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेसियों के मार्फत अर्द्ध-औपचारिक तरीके से गैर-सब्सिडीयुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। वर्तमान में इसकी मूलराशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

स्वयंसिद्धा: यह केन्द्र के महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की एक एकीकृत योजना है जो स्वसहायता समूहों के निर्माण, जागरुकता सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से महिलाओं के सर्वोन्मुखी विकास पर जोर देती है। वर्तमान में स्वयंसिद्धा चरण-प्रथम 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 650 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वयंसिद्धा चरण-द्वितीय संपूर्ण देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम के बतौर चलाया जाएगा और जिसमें सभी खण्डों के साथ ही महिला विकास सूचकांक में पीछे छूट गए राज्यों के व्यापक कवरेज पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्वशक्ति कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है।

स्वधार: वर्ष 2001-02 में प्रारंभ इस योजना में कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की आवश्यकताओं के समाधान हेतु परियोजना आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, तस्करी की शिकार महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ तथा अकिंचन महिलाओं का पूर्णतया पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को खाद्यान्न तथा आवास, परामर्शदात्री सेवाएं, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। संकट में फंसी महिलाओं हेतु हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है।

जननी सुरक्षा योजना: 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ यह योजना पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं हेतु है। इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। इसका उद्देश्य मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए यह योजना प्रभावी है। केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा की कमी वाले 9 राज्यों-बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम में यह योजना शुरू की है। गौरतलब है कि असम को छोड़कर सभी उक्त राज्य "बीमारु राज्यों" की श्रेणी में आते हैं।

राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना : 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर मातृत्व लाभ हेतु 500रु. वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

स्वास्थ्य घर योजना : वर्ष 2002 से प्रारंभ इस योजना के तहत शहरी मलिन बस्तियों में प्रत्येक एक हजार आबादी पर एक स्वास्थ्य घर खोलना प्रस्तावित है जिसमें स्थानीय निवासियों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रतिष्ठित और जिम्मेदार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

तस्करी रोकथाम हेतु व्यापक योजना : 'उज्ज्वला' नामक इस योजना के पांच मुख्य घटक हैं— तस्करी रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, प्रत्यर्पण तथा पीड़िता को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।

प्रियदर्शिनी : महिला सशक्तिकरण तथा आजीविका कार्यक्रम के रूप में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों और बिहार के दो जिलों में कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि की विदेशी सहायता से संचालित है।

अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व क्षमता विकास योजना

अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु गठित सच्चर समिति की रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि भारत का सर्वाधिक अल्पसंख्यक समूह यानी मुस्लिम जिनकी संख्या लगभग 13.83 करोड़ है, को विकास की मुख्यधारा से विमुख रखा गया है और इनमें भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। इसलिए इन वंचित महिलाओं को केन्द्र प्रायोजित योजना बतौर इस योजना में प्रायोगिक रूप में अपनाया गया है। और इसमें उनकी सहायता, नेतृत्व प्रशिक्षण तथा दक्षता विकास के संबंध में जोर दिया जाता है ताकि वे अपने घर तथा समुदाय की चारदीवारी से बाहर आकर समाज की मुख्यधारा में आ सकें।

जैंडर बजटिंग तथा जैंडर डाटा : इसकी मुख्य मंशा महिलाओं के प्रति बरते जा रहे भेदभाव को समाप्त करना और इस हेतु उनके लिए पृथक बजटीय व्यवस्था करके उनके सशक्तिकरण पर जोर देना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष संघटकों की व्यवस्था की है। यहां तक कि इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निधियां 'महिला संघटक के रूप में आबंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण विकास

मंत्रालय महिला संघटक से संबद्ध अन्य योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है जिनमें इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पुनर्संरचित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय पोषण मिशन : देश में व्यापक कुपोषण की समस्या से निजात पाने हेतु वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस मिशन का गठन किया गया था। अब इसी दिशा में भारतीय राष्ट्रीय पोषण चुनौती परिषद का गठन कर दिया गया है। उम्मीद करें कि इससे काफी हद तक कुपोषण की विकराल रूप ग्रहण कर रही समस्या का समाधान होगा। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि बच्चे के कुपोषण का सीधा संबंध उसकी मां के स्वास्थ्य और उसके सशक्तिकरण से जुड़ा है। आज महिला दो प्रकार से कुपोषित हैं— गर्भावस्था से पहले और प्रसवोपरान्त। यही नहीं भारत की तीन महिलाओं में से एक महिला का वजन औसत से कम है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख महिलाएं प्रसव दौरान मृत्यु का शिकार होती हैं। इनमें अधिकांश वे महिलाएं शामिल हैं जिनका 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही विवाह कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पोषण चुनौती परिषद से हम आशा करते हैं कि इसमें सर्वप्रथम महिला स्वास्थ्य तथा उसके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाए।

पोषण शिक्षा योजना : भारत सरकार ने महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया था और इसे पोषण नोडल मंत्रालय माना गया है। खाद्य तथा पोषण बोर्ड मूलतः पोषण शिक्षा और प्रतिरक्षण गतिविधियों में रत है और राष्ट्रीय पोषण नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

केंद्र सरकार के अलावा, राज्यों की तरफ से भी महिलाओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलाई जाती रही हैं जिनमें पंचधारा (मध्य प्रदेश), लाड़ली (दिल्ली) और वात्सल्य, आयुष्मति जैसी कई योजनाएं हैं।

महिला और सूक्ष्म वित्तपोषण

महिलाएं सूक्ष्म वित्त पोषण के जरिए भी अपना सशक्तिकरण करने में समर्थ हो सकती हैं बशर्ते सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और बेहतर भूमिका का निर्वहन करे। यहां सूक्ष्म वित्त पोषण का आशय ग्रामीण, अर्द्धशहरी अथवा शहरी क्षेत्रों की गरीब महिलाओं के लिए ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की व्यवस्था करने से है ताकि वे अपनी आय बढ़ाकर

जीवन स्तर ऊंचा कर सकें। मौजूदा अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त पोषण गरीबी उन्मूलन का सशक्त औजार बनकर उभर सकता है। इसके तहत स्वसहायता समूहों तथा ग्रामीण समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। स्मरण रहे कि भारत में स्वसहायता समूहों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दक्षिण भारत इसका जीता-जागता प्रमाण है। भले ही ग्रामीण महिलाएं गरीब और अशिक्षित तथा कर्ज चुकाने की क्षमता से रहित हैं और देश की 30 करोड़ से अधिक निरक्षर आबादी में महिलाओं की संख्या अधिक है। परंतु इसके बावजूद इन समूहों में उन्होंने ऋण तथा उसके वित्त पोषण में एक सक्षम प्रबंधन की भूमिका का प्रमाण दिया है। और इस बात को भी बल मिला है कि ऋण उपलब्धता तथा महिला सशक्तिकरण के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है। ग्रामीण समूहों के अंतर्गत इस सूक्ष्म वित्त पोषण मॉडल ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जरिए वहां के लोगों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लाने में उल्लेखनीय काम किया है। यद्यपि भारत में भी कुछ सूक्ष्म वित्त पोषण संस्थानों ने इसे अपनाया है।

उम्मीद करें कि स्वसहायता समूहों की भांति वित्तपोषण की दूसरी व्यवस्था भी लोकप्रिय बने। स्मरण रहे कि 90 के दशक से पहले ग्रामीण महिलाओं हेतु ऋण योजनाएं नगण्य थीं। कहना न होगा कि सूक्ष्म वित्तपोषण के जरिए पोषित इन दोनों समूहों के अस्तित्व से जहां सतत आजीविका साधनों की आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा स्वास्थ्य देखभाल और ढांचागत विकास जैसी सामाजिक सेवा प्रावधानों का सुनिश्चय होगा, वही मृतप्राय पड़े कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का पुनर्जीवन संभव होगा। स्मरण रहे कि ये उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सोने की खान हैं। सूक्ष्म वित्त पोषण से महिलाएं इन उद्योगों से संबद्ध सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने में भी सक्षम होंगी। देश में रोजगार के नए-नए अवसर पैदा होंगे, गांव आबाद होंगे और शहरों की ओर पलायन रुकने से शहरों में न केवल आबादी का बोझ कम होगा बल्कि बेरोजगारी की वजह से शहरों में हो रहे अपराधों की बाढ़ भी रुकेगी।

महिला बनाम बाल विकास

यह भी तथ्य है कि महिला के साथ बाल विकास भी जुड़ा है और ये दोनों देश की लगभग 72 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 2006 में एक पृथक मंत्रालय बतौर की गई थी। वर्तमान में वयस्क बालिकाओं के विकास हेतु दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं— पहली, किशोरी शक्ति योजना, और दूसरी, किशोरियों हेतु

पोषण कार्यक्रम। दोनों योजनाओं के तहत 11-19 आयु वर्ग की बालिकाओं के संबंध में आत्मविकास, पोषण तथा स्वास्थ्य, साक्षरता, दक्षता की व्यवस्था है और इन्हें एकीकृत बाल विकास सेवाओं की आधारभूत संरचना के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। आज यह बच्चों के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी लगभग 4600 परियोजनाएं देशभर में चल रहे हैं। उड़ीसा तथा राजस्थान में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है क्योंकि देश के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे इन्हीं दो राज्यों में हैं। देश में बाल अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 5 मार्च, 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गयी थी। 1975 में स्थापित एकीकृत बाल विकास सेवाओं में 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के संबंध में 6 मूलभूत सेवाओं जैसे— स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, रेफरल सेवाओं, पूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा पर फोकस किया जाता है। और जिन्हें वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र नामक एक ही प्लेटफार्म के जरिए निष्पादित किया जा रहा है।

महिला-पुरुष के बीच बढ़ता लिंग भेद

निःसंदेह बालिका के प्रति दुर्भाव रखने की वजह से ही लिंग अनुपात गड़बड़ाया है और इस वजह से काफी हद तक महिला विकास योजनाओं के आशानुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। स्त्री-पुरुष के बीच का यह अनुपात 1991 में प्रति एक हजार पुरुष की तुलना में 945 से गिरकर 2001 में 927 हो गया। यह भी विडम्बना है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले शहरी शिक्षित समृद्ध वर्गों में ज्यादा हैं और पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात जैसे समृद्ध राज्य भी घटते लिंग अनुपात की समस्या से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले 20 वर्षों में देशभर में लगभग 1 करोड़ बेटियों को जन्म से पहले मार दिया गया। इस विडम्बनापूर्ण स्थिति पर गौर करना जरूरी है। इसलिए आज ऐसे प्रयत्नों की दरकार है जो न केवल बालिका के जन्म लेने के अधिकार और उसकी उत्तरजीविता को सुनिश्चित करे बल्कि उसके इस प्रकार पालन-पोषण की भी समुचित व्यवस्था करे जिसके तहत वह समुदाय तथा समाज की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम हो। आज हमें नारी केन्द्रित समाज की अवधारणा को पुष्ट करने की दरकार है।

महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और अपराध

इधर पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों के प्रति यौन हिंसा के अलावा स्त्री विरोधी दूसरे तरह की हिंसाओं जैसे हिंसा, मारपीट, दहेज

उत्पीड़न, हत्या, अपहरण और तेजाब फेंकने जैसे मामलों में बढ़ती होना चिंतनीय है। दूरदर्शन तथा फिल्मों और पत्र-पत्रिकाओं में परोसी जाने वाली अश्लीलता की समस्या भी भयावह है। कार्यस्थलों में यौन शोषण की घटनाओं में भी तेजी आयी है। वर्ष 2008 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर दिन बलात्कार के 57 मामले दर्ज होते हैं, यानी यहां हर 25 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। यही नहीं प्रति मिनट 106 महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 24 मिनट में एक महिला यौन शोषण, प्रत्येक 43 मिनट में अपहरण, प्रत्येक 54 मिनट में बलात्कार और 102 मिनट के अंतर से दहेज उत्पीड़न की शिकार है। इसी प्रकार राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2007 की रिपोर्ट में अकेले दिल्ली में बलात्कार के 513 मामले दर्ज किए गए जो उसी अवधि के दौरान मुंबई (171), बंगलौर (62), इंदौर (74), पुणे (65) चेन्नई (46) में दर्ज किए गए मामलों की अपेक्षा काफी अधिक हैं। यही नहीं, बलात्कार, अत्याचार, मारपीट और हिंसा के कई मामलों की सामाजिक बाध्यता तथा अपनी सुरक्षा और इज्जत बनाए रखने की वजह से थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। इसलिए इन समस्याओं से तभी छुटकारा मिल सकता है जबकि न केवल कानून प्रवर्तनकारी मशीनरी सुदृढ़ हो, बल्कि महिलाओं का सामाजिक दर्जा ऊंचा हो, पुरुष की दकियानूसी मानसिकता में आमूलचूल बदलाव हो और वे आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भी सशक्त हों। इसके अतिरिक्त, महिला के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए।

यह दुःख की बात है कि संसद में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का विधेयक आज भी लम्बित है जबकि देश की आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। संसद में महिला आरक्षण के लागू न होने की एकमात्र वजह पुरुष मानसिकता और उसे अपने वर्चस्व पर आंच आने की चिंता है। इसलिए प्रत्येक संसद सत्र के दौरान किसी न किसी रूप में इसका विरोध कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यहां तक कि सरकार को इसको संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत करने में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वह भी सर्वज्ञात हैं। जबकि हकीकत में महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी देने से न केवल राजनीति में एकशुचितापूर्ण व अनुशासित व्यवहार को बल मिलेगा बल्कि देश की विकास योजनाएं जिसमें महिला विकास की योजनाएं भी शामिल होंगी, का क्रियान्वयन भलीभांति करना संभव होगा।

दृष्टिकोण

निःसंदेह महिलाओं की गरिमा और उनके अस्तित्व को बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा महिलाओं के संबंध

में समय-समय पर कल्याणकारी योजनाएं बनाने और संविधान में उन्हें यथेष्ट संरक्षण प्रदान करने के बावजूद आज भी नारी यदि शोषित, पीड़ित, गरीब और लिंग आधारित विषमता का शिकार है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण पुरुष की मनोवृत्ति में अपेक्षित बदलाव न आना है। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं को महिलाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए उनके लिए और बेहतर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण के साथ उनकी इन योजनाओं के निर्माण में समुचित भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि देश में मौजूदा अन्य विकास कार्यक्रमों की तरह महिला विकास से जुड़े कार्यक्रमों से भी हमें अभी तक आशानुरूप परिणाम नहीं मिले। राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार से यथोचित सहयोग न करना, कल्याण कार्यक्रमों के प्रति टालमटोल और ढिलाई बरतना तथा उनके कार्यान्वयन में संसाधनों/निधियों की कमी का बहाना बनाना आदि ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से महिला विकास कार्यक्रमों से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

इसलिए राज्यों का यह परम कर्तव्य है कि वे महिला विकास कार्यक्रमों में केंद्र के साथ न केवल पूरा सहयोग करें बल्कि अपने स्तर पर भी महिला विकास कार्यक्रमों के निर्माण में तेजी लाकर उनके लिए पर्याप्त बजटीय व्यवस्था करें। उनका यह भी दायित्व है कि वे सुदुर ग्रामीण इलाकों का सघन भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर जमीनी वास्तविकताओं का पता लगाएं और उसके अनुरूप महिलाओं के कल्याण की दिशा में पहल करें। साथ ही इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए समुदाय और पंचायत स्तर की भागीदारी और जवाबदेही भी सुनिश्चित करें और गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लें। अब हमें और समय गंवाए बिना इस बात पर भी जोर देना होगा कि महिलाएं विकास कार्यक्रमों की लाभार्थी बनकर ही न रहें बल्कि राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में उनकी पूरी सहभागिता हो और प्रत्येक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो ताकि इन योजनाओं के फलों का सबको समान रूप से स्वाद मिले। इसमें दो राय नहीं कि यदि हम देश की महिलाओं की इस आधी आबादी के लिए उनके जीवन की सुरक्षा तथा गरिमा की रक्षा सुनिश्चित न कर सकें तो देश की शानदार विकास दर के बावजूद भारत की प्रगति सदैव बाधित होती रहेगी और इस कारण देश की आधी जनसंख्या को पर्याप्त विश्वास में लिए बिना हम समावेशी विकास की अवधारणा को मूर्त रूप नहीं दे सकते।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल: jagriti_p18@yahoo.co.in

महिलाओं संबंधी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा

डॉ. जगबीर कौशिक

शास्त्रोक्त उक्ति है—यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता, यत्र नार्यः न पूज्यंते निष्फलाः सर्वा क्रियाः। अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं और जहां नारियों की पूजा अथवा सम्मान नहीं होता, वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस उक्ति का आध्यात्मिक सिद्धांत की दृष्टि से कुछ अलग सोच के साथ विवेचन किया जा सकता है किंतु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब तक नारी को उसके कार्यों का श्रेय नहीं मिलेगा, जब तक नारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जब तक नारी शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध रहेगा और जब तक नारी आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं होगी, तब तक कोई भी राष्ट्र या राज्य विकास के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता।

भारत में सदा से ही समाज में महिला की भूमिका बहुविध रूप में दृष्टिगोचर हुई है। कहीं इसे देवी के रूप में पूज्या दिखाया गया तो कहीं देवदासी के रूप में भोग्या। यदि प्राचीन भारतीय समाज और शास्त्रों की ओर दृष्टिपात करें तो महिला पात्र के स्वतंत्र अस्तित्व के कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारतीय

साहित्य में नारी को 'वस्तु' के रूप में प्रदर्शित करने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं।

लेकिन प्राचीन संस्कृति में इसके विपरीत नारी को बराबरी का दर्जा भी प्रदान किया गया है। शिव ने अर्द्धनारीश्वर का स्वरूप ग्रहण किया तो राम ने परित्याग करने के बाद भी सर्वथा सीता के अस्तित्व को स्वीकार किया, यहां तक कि यज्ञ में पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण प्रतिमा को अपने बराबर में रखा। मनु ने राज्य का परित्याग करके साधना करने के लिए जाते समय शतरूपा को अपने साथ रखा। ऐसे ही अनेक उदाहरण प्राचीन संस्कृति एवं शास्त्रों में देखने को मिल जाएंगे जहां नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है।

जब हम हरियाणा में महिलाओं संबंधी कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो देखते हैं कि हरियाणा ने नारी के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में भरपूर प्रयास किए हैं, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का, सशक्तिकरण का हो या जागरूक करने का अथवा पुरुष-महिला लिंगानुपात में सुधार करने का। प्रत्येक क्षेत्र में सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कटिबद्ध नजर आ रही है।



शिक्षा — ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को शिक्षित करना बेकार की बात और शिक्षा पर होने वाले व्यय को फिजूलखर्ची समझा जाता था। राजधानी के नजदीक होने से शैक्षिक वातावरण की हवा हरियाणा में पहुंची। इस राज्य के निवासियों ने शिक्षा के महत्व को समझा। सरकार ने भी शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए कई योजनाएं चलाई जिनके परिणाम अब मिलने आरंभ हो गए हैं। स्कूलों में वर्दी, किताबें और मध्याह्न का भोजन मुफ्त दिया गया ताकि लड़कियां साक्षर हो सकें। चूंकि कालेजों अथवा व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था और बाहर जाने की सुविधाओं तथा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय हेतु धन का अभाव था। राज्य सरकार ने सभी गांवों को परिवहन के साधनों से जोड़ा और छात्राओं के बस पास के किराये में 95 प्रतिशत की छूट दी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली ग्रामीण छात्राओं को क्रमशः 2000, 1500 तथा 1000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की। उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सह-शिक्षा महाविद्यालय और एक महिला महाविद्यालय जींद में खोला गया।



आई टी आई तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए लड़कियों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही आई टी आई बहुतकनीकी संस्थाओं, इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश लेने वाली सभी लड़कियों को आई टी आई में 1000 रुपये और अन्य संस्थाओं में 2500 रुपये मूल्य की टूल किट या मुफ्त किताबें देने की योजना घोषित की गई। आई टी आई के सभी संकायों, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए, एम.सी.ए. तथा बी फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान हासिल करने वाली लड़कियों को 5100 रुपये के पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। छात्राओं को शिक्षण संस्थाओं तक जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने साइकिल सुविधा की योजना घोषित की।

सामाजिक सुरक्षा — महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। परिवार लड़की को बोझ न माने, इसके लिए सरकार ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए नौकरी ग्रहण करते समय दहेज न लेने अथवा न देने का शपथ-पत्र देना अनिवार्य कर दिया ताकि न तो परिवार को लड़की बोझ लगे और न ही विवाह के बाद दहेज की लिए प्रताड़ित हो। पारिवारिक विवादों, दहेज-प्रताड़ना और महिलाओं से संबंधित अन्य मामलों की कार्यवाही करने हेतु महिलाओं में व्याप्त भय अथवा संकोच को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में महिला पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 31 अगस्त, 1945 को या इससे पहले भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को 800 रुपये तथा इसके बाद भर्ती हुए सैनिकों की विधवाओं को 600 रुपये प्रतिमास की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली मासिक पेंशन से अलग है। मृतक सैनिकों की विधवाओं को मिलिट्री कैंन्टीनों के माध्यम से बेचा जाने वाला सामान बिना बिक्री कर के दिया जा रहा है।

बलो काम निपटा, अब कुछ पढ़ लें

महिला जागरुकता — महिलाओं में अपने अधिकारों, कर्तव्यों, सुविधाओं आदि के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें साक्षर महिला समूह (एस एम एस) नामक कल्याणकारी योजना सर्वप्रथम है। गांव की पढ़ी-लिखी महिलाओं व लड़कियों का समूह है जो गांव में जागरुकता एवं चेतना जगाने का कार्य करता है। यह समूह गांवों में घटता लिंग अनुपात, प्राथमिक शिक्षा का प्रचार स्वास्थ्य एवं पोषण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर, सफाई, पर्यावरण तथा महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं नीतियों के विषय में जागरुकता फैला रहे हैं। यह समूह एक पंजीकृत संस्था है जो गांव में एक लघु स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इन समूहों में गांव की सभी दसवीं पास महिलाएं, बारहवीं व उससे ऊपर पढ़ने वाली लड़कियां तथा किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बने बालिका मण्डल की सदस्या शामिल होती हैं। साक्षर महिला समूह की एक 10 सदस्यीय संचालन समिति होती है जिनमें प्रधान, उपप्रधान और संचालक के पद होते हैं। इस समूह की

14

अधिकारिक संस्था हरियाणा महिला विकास निगम है। इसके अलावा महिलाओं में जागरूकता का संचार करने के लिए राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में महिला अध्ययन एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो छात्राओं को महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रहा है।

स्वास्थ्य योजना – हरियाणा सरकार ने महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांवों में एक एंक्रिडेटिड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) की योजना बनाई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रसूति हेतु अस्पताल ले जाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक वाहन की व्यवस्था की है। राज्य के शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए जननी सुविधा योजना तथा गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयां मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है। गांवों में महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 328 प्रसूति-गृहों का निर्माण किया गया है।

राज्य में स्कूलों में अध्ययनरत 18 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों का स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। जिनके आधार पर उनके शारीरिक विकास एवं पोषक तत्वों से संबंधित नियमित रूप से जांच की जाती है और 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से 125 आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्टों में किशोरी शक्ति योजना लागू की गई है।

लिंगानुपात में सुधार – राज्य में असन्तुलित होते लिंगानुपात से चिन्तित सरकार ने इसकी स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से वर्ष 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाने के साथ ही बिगड़ते लिंग अनुपात के मूल कारणों का निदान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की ताकि राज्य के लोग कन्या को हेय दृष्टि से न देखें और कन्या को बोझ न मानें। इसके लिए राज्य सरकार ने लाडली प्रोत्साहन योजना के तहत दूसरी लड़की के जन्म पर उस कन्या को पांच वर्ष की अवधि तक पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिस परिवार में केवल लड़कियां हैं, उनके माता-पिता को 55 वर्ष की आयु होने के बाद वृद्धावस्था भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली सभी वर्गों की विधवाओं एवं अनुसूचित जाति के परिवार की लड़कियों के विवाह पर 15 हजार रुपये का शगुन देने की योजना लागू की गई है। लिंगानुपात में सुधार के कार्यक्रम को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर सामूहिक स्तर तक पहुंचाने की दृष्टि से घटते लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रथम

तीन जिलों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख तथा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने की भी घोषणा की गई।

महिला सशक्तिकरण योजना – समर्थ का सम्मान हर स्थान पर होता है, इसी विचार को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार ने सबसे पहले कदम के रूप में राज्य सरकार के स्कूलों हेतु की जाने वाली अध्यापकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण किया है। राज्य में रहने वाली अनुसूचित जाति की 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ब्यूटी पार्लर अथवा बुटीक खोलने हेतु क्रमशः 60,000 रुपये तथा एक लाख रुपये प्रति इकाई ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में प्रचलित पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुग्ध समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 650 महिला सहकारी समितियां गठित की गई हैं। इसके अलावा, महिला रिसोर्स पर्सन को महिला सहकारी समिति का गठन करने तथा दूध उपलब्ध कराने पर 10 पैसे प्रति लीटर अधिक कमीशन देने की योजना लागू की गई है। राज्य में सोपान परियोजना के अंतर्गत 6 जिलों—अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद और सिरसा हेतु महिला डेयरी परियोजना का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। महिला सहकारी समितियों को अनुदान के रूप में 408 मिल्क टेस्टर्स तथा 42 ए.एम. सी.यू. की खरीद के लिए 150 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन सबके अलावा, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने तथा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य भर में महिला मण्डलों के 1666 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। परिवार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए मकानों के आबंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। इसके साथ-साथ महिला के नाम सम्पत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में दो प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान भी किया गया है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं से संबंधित अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके महिला विकास एवं स्वावलंबन करने वाले राज्यों में अपना अग्रणी स्थान बना लिया है। इन सभी योजनाओं का असर राज्य में देखा जा रहा है और आने वाले वर्षों में इसके परिणाम निश्चित रूप से आएंगे।

(लेखक सरकारी स्तर पर प्रकाशित 'उद्योग व्यापार पत्रिका' के उप संपादक हैं।)
ई-मेल : dr.kaushik@rocketmail.com

लोक प्रशासन (हिन्दी माध्यम)
में सर्वोच्च स्थान के बाद
एक बार फिर सर्वोच्च अंक

गिरिवर दयाल सिंह
390
(183/207)

मुकेश बहादुर सिंह : 342 (157/185)
अजय हिलोरी : 338 (151/187)
बलराज मीणा : 333 (160/173)
अनुभव वर्मा : 330 (.../...)
राजीव रंजन : 326 (149/177)
वीरेन्द्र कुमार पटेल : 323 (131/192)
और भी ...

लोक प्रशासन

By **Atul Lohiya**
(हिन्दी माध्यम)

(A person who believes in
scientific approach and hard work)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)



38 Rank

Shikha Rajput



51 Rank

Giriwar Dayal Singh



Virendra K. Patel
254 Rank



Ajay Hilori
391 Rank



Mukesh B. Singh
465 Rank



Shailendra S. Rathour
615 Rank

यू.पी.पी.सी.एस.-05 में अपार सफलता
छत्तीसगढ़ पी.एस.सी. में 15 वीं रैंक
पर हमारे संस्थान के दृष्टिहीन छात्र
आशीष सिंह ठाकुर



3 Rank



6 Rank

Aadesh Rai

Nimisha Jaiswal

MPPSC-05
में **Top-13** में 4



8 Rank

Rinkesh Kumar



13 Rank

Akhilesh K. Jain



52 Rank

Sanmati Kumar



92 Rank

Shashi Kant



95 Rank

Deepali Jain


UPSC-06 में सर्वोच्च अंक - विकास कुमार-353 (184/169)



Abhilek Singh
Topper, UPSC-06




Lokesh Lilhare
Topper, UPSC-05



Vineet Jain
Topper, UPSC-05



A.P.S. Yadav
Topper, UPSC-04



Arvind Kumar
Topper, UPSC-03




Tirthraj Agarwal
SDM, 9th Rank, CG.



Shikha Rajput
31st Rank, CG.



Ranu Sahu (Dy. SP)
60th Rank, CG.



Ram M. Sahu
39th Rank, MP.



Prakash Chandra
SDM Uttaranchal-02

आप भी प्राप्त कर सकते हैं 400+ अंक, कैसे? Winning Strategy के साथ

New Batch (Delhi)
Admission Open

* UPSC के साथ UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand
Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS की भी तैयारी;
संस्थान के सफल विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन!

JOIN FOUNDATION COURSE

-: SHORT TERM COURSE :-
WRITING SKILL, ESSAY & PERSONALITY DEVELOPMENT

लोक प्रशासन

Mains के साथ-साथ
Pre. के लिए भी बेहतर विकल्प

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005, 9313650694

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

'अतुल लोहिया'

शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

छत्तीसगढ़ की 'मदर टेरेसा' फुलबासन

डॉ. एस.के. मिश्रा

छत्तीसगढ़ के एक गरीब परिवार में जन्मी और पत्नी-बढ़ी फुलबासन आज महिला शक्ति की प्रतीक बन गई हैं। परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने न केवल महिलाओं के सामाजिक उत्थान की लड़ाई लड़ी बल्कि उनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए महिला स्वयंसहायता समूहों का भी गठन किया। आज बड़ी संख्या में महिलाएं उनके द्वारा गठित स्वयंसहायता समूहों से जुड़कर अपने परिवार का भलीभांति पालन-पोषण कर रही हैं। फुलबासन अपने अथक प्रयास एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ७२०० से अधिक महिला समूहों का गठन कर एक इतिहास रच चुकी हैं। यहीं नहीं इन्होंने अपने महिला समूह की सदस्यों के साथ मिलकर राज्य में नशाबंदी और बालविवाह जैसी सामाजिक बुराईयों के खिलाफ भी जंग छेड़ रखी है।

उदारीकरण के दौरान भारतीय स्त्रियों ने विभिन्न व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में सफलता का पंचम लहराया है। आज महिलाएं ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाने में पारंगत हो चुकी हैं। महिला संगठन शक्ति का उदाहरण 'ग्रामीण महिला उद्योग' के रूप में विगत कई वर्षों पूर्व हमारे समक्ष आ चुका है, जिनके द्वारा किए जा रहे उत्पादों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा रही है। वर्तमान युग और विकास के बढ़ते दौर में अनेक युवतियों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमानों को गढ़ा है।

राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम छुरिया में जन्मी फुलबासन की कहानी कुछ इस तरह की है जो एक नया इतिहास लिखने जा रही है। अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्मी और पत्नी-बढ़ी फुलबासन बाई ने दिसंबर 1969 में जहां एक गरीब परिवार में खुशियां लुटायी वहीं दूसरी ओर कम उम्र में एक चरवाहे के साथ ब्याह दी गयी। यह नारी गरीबी के चलते गाय-बकरी चराने को अपनी नियति मान बैठी। घर-गृहस्थी और बच्चों के पालन-पोषण में गरीबी के चलते अनेक कठिनाईयों का सामना रोज का जीवन चक्र बन गया। फुलबासन अक्षर ज्ञान से कोसों दूर रहने के बावजूद अपने बच्चों

राजनांदगांव में मध्याह्न भोजन परोसती
फुलबासन





तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के कर कमलों से नाबार्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करती फुलबासन यादव

के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था का सपना संजोये रात-दिन इस पर विचार करती। परेशान फुलबासन बाई के उच्च विचारों को शासकीय महिला समूह गठन योजना से नयी दिशा प्राप्त हुई। महिलाओं के सम्मानार्थ प्रारंभ की गयी इस योजना के जानकारी में आते ही फुलबासन की सुसुप्तावस्था में पड़ी इच्छाएं जागृत हो उठी और वह पति के विरोध के बावजूद शासन द्वारा बनायी गयी योजना में शामिल हो गयी। इतना ही नहीं बल्कि उसने गांव तथा आसपास की महिलाओं को भी योजना की जानकारी दी और उन्हें अपने साथ जोड़कर 'प्रज्ञा मां बम्लेश्वरी स्व-सहायता समूह' का गठन कर महिलाओं के विकास के अवरूद्ध मार्ग को एक नई चेतना के साथ नई दिशा प्रदान की।

जहां एक ओर शासन द्वारा संचालित महिला स्वसहायता समूह के गठन के साथ उसकी सहायता पर प्रश्नचिन्ह विराजमान था वहीं दूसरी ओर श्रीमती फुलबासन यादव के रूप में कोयले की खान से तराश कर निकाला गया हीरा योजना को रोशनी की राह दिखाने लगा। इस समूह में महिलाओं को जोड़ना आसान काम नहीं था। कारण, अधिकांश महिलाएं निरक्षर होने के साथ ही साथ सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थी। ऐसी महिलाओं को सामाजिक बंधनों से मुक्त कराकर योजना से जोड़ना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं था। इस कठिनाई में भागीरथी प्रयास के रूप में तत्कालीन जिलाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव की भूमिका संजीवनी बूटी के रूप में प्राप्त हुई। श्रीवास्तव को महिला स्वसहायता समूह की सफलता के लिए

एक अदम्य साहस वाली महिला की जरूरत थी जो उन्हें फुलबासन के रूप में मिली। जिलाधीश के संपर्क में आने से पूर्व श्रीमती यादव ने समूह का गठन कर यूनियन बैंक की सुकुलदैहान शाखा में बचत के पैसे जमा कर उसे ब्याज में देना शुरू कर दिया था। इन पैसों से जरूरतमंदों की सहायता का दौर एक अत्यंत ही गरीब और विकलांग कर्ज से लदे बिलासराम यादव को साहूकार के चुंगल से छुड़ाते हुए प्रारंभ किया। फुलबासन ने न केवल बिलासराम को साहूकार के कर्ज से मुक्ति दिलायी अपितु बैंक से ऋण दिलाकर उसे जीविकोपार्जन हेतु बकरी पालन व्यवसाय से भी संबद्ध किया।

फुलबासन की सेवाभावना को समझते हुए उस समय के जिलाधीश दिनेश

श्रीवास्तव ने महिला सशक्तिकरण अभियान के लिए उसे बिना किसी संकोच के चुन लिया। इसी चयन के बाद से चरवाहे के रूप में जीवन व्यतीत कर रही फुलबासन का पुनर्जन्म हुआ और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चली। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इस अनपढ़ महिला ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। चाहे ज्येष्ठ मास की तपती धूप हो अथवा श्रवण मास के घनघोर बादल या फिर शीतकालीन समय की कड़कड़ाती ठंड का समय ही क्यों न हो, फुलबासन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने मिशन को फतह करने में चूक नहीं की। जिलाधीश द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम चरण में चुनी गयी 8-10 महिलाओं में फुलबासन सबसे कमजोर मानी जा रही थी। फुलबासन के कुशल नेतृत्व के सहारे महिला सशक्तिकरण का कार्य परवान चढ़ने लगा। उसने अपने साथ महिलाओं को जोड़कर अल्प बचत के गुर सिखाए और उनकी बचतों को बैंक में जमाकर उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि से खेती किसानी सहित बाजार ठेका, मछली पालन, बकरी पालन, ईंट व कवेलू निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, अगरबत्ती उत्पादन, टेन्ट हाऊस का संचालन जैसे कार्य करवाते हुए लाभप्रद व्यवसाय के अनेक कीर्तिमान भी बनाए।

श्रीमती यादव ने समाज के आर्थिक पिछड़ेपन पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने प्रयासों के दम पर महिला स्वयंसहायता के रूप में रचनात्मक कार्यों में भी अहम भूमिका का निर्वहन किया। गांव-गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर जनजागृति का संचार भी इस अनपढ़ महिला ने कर दिखाया। रक्तदान जैसे पुण्य

यज्ञ में स्वयं के साथ अन्य लोगों को जोड़कर श्रीमती यादव ने प्रथम प्रयास में ही 12 बोटल रक्तदान कर अपने इरादे जाहिर कर दिये। साथ ही इनके निर्देशन में कार्य करते हुए महिलाओं ने गांव-गांव में पानी के स्तर को ऊंचा उठाने, सोखता गड्डा निर्माण के प्रति जनजागृति का संचार किया। इनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों में विशेष रूप से प्राथमिक शालाओं के बच्चों को बाल भोज के तहत खीर पूड़ी खिलाना, प्रवेश के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना, शिक्षा के महत्व से अवगत कराना, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाना, टीकाकरण कार्यक्रम में सहभागिता, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक औषधि के साथ विटामिन की गोलियां उपलब्ध कराना एवं गांव-गांव में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने जैसे कार्य सम्मिलित रहे हैं।

अपनी जन्मस्थली ग्राम सुकुलदैहान के साप्ताहिक बाजार ठेके में असामाजिक तत्वों का कब्जा होने से व्यथित श्रीमती फुलबासन ने अपने समूह के माध्यम से स्वयं बाजार का ठेका लेकर गुण्डा तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस काम में श्रीमती यादव ने तत्कालीन कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव के पुलिस हस्तक्षेप द्वारा गुण्डा तत्वों की धरपकड़ को अस्वीकार करते हुए महिलाओं के आत्मबल के दम पर ठेकेदारों को भगाने में सफलता पायी। पुलिस की बैसाखी कब तक साथ देगी जैसे विचारों को अपने साहस में समेटे श्रीमती यादव ने महिला शक्ति को संबल प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्राम तुमडीबोड़ में आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य के दौरान अपनी वक्तृत्व कला का परिचय देते हुए इस ग्रामीण महिला ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन दुकान) की जिम्मेदारी महिला समूहों को देने की मांग कर डाली जिसे मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वीकार कर लिया। श्रीमती यादव की मांग पर ही मुख्यमंत्री ने महिला समूह को मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी के माध्यम से छोटे बच्चों को पौष्टिक भोजन खिलाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अनेक प्रकार के समाजोपयोगी कार्य का बीड़ा उठाने वाली यह महिला जब रात में अपने घर पहुंचती है तो उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट कर सर्दी के ठिठुरते मौसम में घर से बाहर निकाल दिया जाता। कई-कई दिन इस महिला ने भूखे-प्यासे गुजारे हैं। इन सारी प्रताड़नाओं को सहने के बावजूद अपने मिशन में डटी रहने वाली फुलबासन ने आज एक ऐसा मुकाम पा लिया है जिसके लिए एक जन्म कम पड़ सकता है। श्रीमती यादव के समाज उत्थान कार्यों को देखते हुए विभिन्न संगठनों एवं शासन ने उसे पुरस्कृत भी किया है। पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है ;

प्राप्त सम्मान	सम्मानित करने वाली संस्था
● नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफारमेंस	— नाबार्ड द्वारा
● मिनीमाता सम्मान राज्य पुरस्कार	— छत्तीसगढ़ शासन द्वारा — नाबार्ड द्वारा
● यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड	— मुंबई यूनियन बैंक द्वारा
● मां बम्लेश्वर बैंक अवार्ड	— जिला प्रशासन द्वारा
● पंचायत में महिला सशक्ति करण हेतु प्रशास्तिपत्र	— पंथ सामाजिक संस्था द्वारा
● महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशास्ति-पत्र	— जिला साक्षरता समिति, दुर्ग द्वारा
● महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशास्ति-पत्र	— जिला प्रशासन द्वारा
● जी अस्तित्व अवार्ड	— जी टीवी मुंबई द्वारा
● जमनालाल बजाज अवार्ड 2008	— जमनालाल बजाज फाउंडेशन मुंबई द्वारा

श्रीमती यादव को पुरस्कार स्वरूप मिली लाखों रुपये की राशि भी उनके द्वारा सामाजिक कार्यों में लगा दी गई है। सन् 2008 में मिले जमनालाल बजाज पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपयों को श्रीमती यादव ने अपने महिला समूह में शामिल महिलाओं के विश्राम आदि को ध्यान में रखकर एक विश्राम भवन बनाने का निर्णय लिया है। सन् 1972 से शुरू किया गया जमनालाल बजाज पुरस्कार ग्रहण करने वाली फुलबासन छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला हैं। इसके पहले यह अवार्ड 36 वर्षों में कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया था।

फुलबासन बाई यादव की समाज सेवा की भावना उसके अदम्य साहस के कारण लगातार परवान चढ़ती गयी। सन् 2008 के अंत में यह करिश्माई महिला अपने अथक एवं जिला प्रशासन के सहयोग के चलते 7201 महिला समूहों का गठन कर एक इतिहास बना चुकी है। इतना ही नहीं समाज में फैली सबसे बड़ी बुराई के रूप में नशाबंदी के खिलाफ श्रीमती यादव ने जो जंग छेड़ी उसमें भी महिलाओं ने उसका निर्भीक रूप से साथ दिया। परिणामस्वरूप लगभग 30 गांवों में पूर्णतः नशाबंदी लागू करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर शराब व्यापारियों एवं उनके गुर्गों के मंसूबों पर पानी फेरा है। सामाजिक रूप से त्याग दिए गए

बच्चों के साथ ही अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की चिंता करते हुए श्रीमती यादव ने अपने महिला समूह में शामिल सदस्यों के सहयोग से 2800 बच्चों को गोद लेकर उन्हें जीने का अधिकार प्रदान करने के साथ ही शिक्षा जैसे आयाम से भी जोड़ा है। दूसरी सामाजिक बुराई एवं रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़ी समस्या बाल विवाह से मुक्ति। इनके महिला समूह ने इनके नेतृत्व में अभियान चलाकर लगभग 570 बाल विवाहों पर रोक लगायी है। श्रीमती यादव के शिक्षाप्रद एवं समाज सुधार कार्यों की समीक्षा एक नहीं अनेक संगठनों द्वारा किए जाने से प्रभावित होकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले की महिला समूहों को 1741 विद्यालयों में, मध्याह्न भोजन के संचालन का दायित्व भी सौंपा है। इसके अलावा 4225 केंद्रों में बाल भोजन की व्यवस्था को सुचारू एवं सुदृढ़ आधार भी प्रदान किया है। श्रीमती यादव की प्रेरणा के चलते महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा 211 उचित मूल्य दुकानों का सफलतापूर्वक संचालन भी वर्तमान में किया जा रहा है।

फुलबासन बाई के सामाजिक कार्यों की गूँज छत्तीसगढ़ से होते हुए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास तक पहुंच गयी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके कार्यों की तारीफ करते हुए उसे वर्ष 2004-05 में मिनीमाता राज्य अलंकरण से सम्मानित किया। इस सम्मान में मिले एक लाख रुपये की राशि पर व्यक्तिगत लालच की छाया भी नहीं पड़ पायी और फुलबासन ने इस राशि से 35 गरीब बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था कर दी। अपनी गरीबी के कारण स्वयं अक्षर ज्ञान से दूर रही फुलबासन बाई ने अनाथ बच्चों को पढ़ा-लिखाकर एक अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुरस्कारों की श्रेणी में उसे 2004-05 में नाबार्ड द्वारा रायपुर एवं नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2001, 2002 एवं 2003 में लगातार

मां बम्लेश्वरी अवार्ड। एक आयोजन में सूचना के अधिकार के तहत फुलबासन का उद्बोधन एवं उसके कार्यों की फेहरिस्त को सुनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि मैं खुद को बहुत बड़ा समाज सेवी समझता था, फिर मेरे पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन भी थे, इसके विपरीत श्रीमती फुलबासन ने गरीब महिला होते हुए ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में किसी भी समाजसेवी के लिए प्रेरणास्रोत हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने आज तक जो सम्मान किसी को नहीं दिया, वह सम्मान फुलबासन को दे रहा हूँ।

सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ हवाई जहाज में उड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। फुलबासन ने महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिए गए उद्बोधन से श्रीमती सोनिया गांधी को भी प्रभावित किया है।

श्रीमती यादव की समाजसेवी गतिविधियों को कुछ पन्नों में समेटना संभव नहीं है। प्रसिद्धि के शिखर पर खड़ी फुलबासन यादव की सामान्य दिनचर्या में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। महिला समूहों के साथ गांव-गांव घूमने वाली साफ हृदय वाली यह ग्रामीण महिला आज भी हर छोटे आयोजन से लेकर समाजोपयोगी कार्यक्रमों में सहज उपस्थिति दर्ज कराती आ रही है। इतना ही नहीं इन सारे कार्यों को सूरज निकलने के साथ शुरू करने से पूर्व और सूर्यास्त के बाद तक अपने पारिवारिक कार्यों की व्यस्तता में उसे सामान्य रूप से संलग्न देखा जा सकता है। फुलबासन बाई जैसी कार्यकुशल और सहृदय नारी जिस मिट्टी में पैदा हुई, उस पर किसे गर्व नहीं होगा!

(लेखक वाणिज्य संकाय में व्याख्याता हैं।)

ई-मेल : drskmishra_rjn@yahoo.com

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजें।

ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं की जरूरतों को समझना होगा

वंदना भट्टाचार्य

भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे-धीरे एकल परिवार में बदल चुकी है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है परिवार के बुजुर्गों को। एकल परिवार आश्रित वृद्धों की देखभाल करने में असमर्थ हैं। भारतीय समाज में आए इस परिवर्तन ने बुजुर्गों को आम जनजीवन से अलग-थलग कर अकेलेपन का शिकार बनने पर मजबूर कर दिया है। पारिवारिक इकाई जिसकी पहचान कहीं खोती जा रही है, आज जरूरत है उसे सामाजिक तथा सामुदायिक तौर पर पुख्ता बनाने की। इस दिशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर समाहित प्रयास करने की आवश्यकता है।

हमारी प्राचीन संस्कृति, परंपराएं तथा हमसे पहली पीढ़ी के लोगों की मानसिकता उन्हें पूरी तरह प्रेरित करती रही, अपने समाज एवं परिवार से जुड़े रहने के लिए। जहां तक समाज की बात है, उसने वृद्धों के जीवन से खुशियां चुराई हैं। जहां उन्हें

सहारा मिलना चाहिए था, वहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। भारतीय समाज की संस्कृति तथा मूल्य परिवारजनों को अनुमति नहीं देता है कि वह किसी भी प्रकार से अपने वृद्धों को सहारा न देते हुए असहाय छोड़ दें। प्राचीन समय में वह वृद्ध तथा असहाय जिनका कोई परिवारजन नहीं होता था, समुदाय उनकी देखरेख करता था। 'मठ', 'धर्मशालाएं', 'वृद्धाश्रम' या फिर पंचायत घर जैसी संस्थाएं बेसहारा और असहाय व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा किया करती थीं। समय के साथ सब बदल गया है। संयुक्त परिवार-एकल परिवार में स्थानांतरित होकर आश्रित वृद्धों की देखभाल करने में असमर्थ हैं।

वृद्धावस्था का यह अनुभव स्थान तथा संस्कृति के साथ-साथ अपना अर्थ एवं परिभाषा बदलता रहता है। आखिरी कुछ दशकों में 'वृद्धावस्था' को भारतीय समाज के विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जीवन प्रत्याशा। सन् 1950 में यह 60 वर्ष थी जो 2001 में बढ़कर 72.5 वर्ष हुई। ऐसा माना जा रहा है कि यह सन् 2050 में बढ़कर करीब 80 वर्ष हो जाएगी।

औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा शहरीकरण की आंधी ने हमारे संयुक्त परिवार के टुकड़े कर दिए। संयुक्त परिवार जो बुजुर्गों, बच्चों और बेसहारों का भरण-पोषण करता था अब 'मृत संस्था' में परिवर्तित हो चुका है। केवल 14 प्रतिशत परिवार यथार्थ रूप में संयुक्त परिवार हैं। एकल परिवार 20वीं सदी की सच्चाई हैं। आने वाले समय में यह और सूक्ष्मतम हिस्सों में विभाजित हो सकता है। भारतीय समाज में आए इस परिवर्तन ने बुजुर्गों को आम जनजीवन से अलग-थलग कर अकेलेपन का शिकार बनने पर मजबूर कर दिया है।

ग्रामीण वर्ग के वृद्ध या तो अकेले रहने पर बाध्य हो गए हैं या फिर शहरों में गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर।



उन्हें अपना जीवन अर्थहीन लगाने लगा है। वृद्धों का नाना प्रकार से शोषण हो रहा है।

भारतीय समाज में घटती हुई 'प्रजनन दर' तथा मृत्यु दर, बढ़ती हुई 'जीवन प्रत्याशा दर' आगामी कुछ वर्षों में वृद्धों की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि के घटक साबित होंगे। वृद्धों में महिला वृद्धाओं की परिस्थिति पुरुष वृद्धों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित है।

2001 की जनगणना के अनुसार 222 लाख (60+) वृद्ध किसी न किसी आय के साधन से जुड़े पाए गए जिसमें 178 लाख पुरुष तथा केवल 44 लाख वृद्धाएं थीं। यह साबित करता है कि 39.1 प्रतिशत वृद्ध कुल 60+ वृद्ध जनसंख्या में से, किसी न किसी प्रकार से आमदनी पा रहे हैं। पुरुषों की 'कार्यबल' में भागीदारी 60.5 प्रतिशत रही जबकि महिलाएं केवल 16.1 प्रतिशत थीं। यथार्थ यह है कि इस आयु में भी वृद्धाएं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहतीं। घर में उनके काम, तथा खेत पर काम का आय के रूप में अवलोकन नहीं किया जाता। ये वृद्धाएं पूरी तरह से परिवार पर ही आश्रित हो जाती हैं।

शहरी तस्वीर इससे कुछ अलग है। यहां 51.5 प्रतिशत पुरुषों (60+) ने दावा किया है कि वह किसी पर आश्रित नहीं हैं। 29.7 प्रतिशत पूरी तरह से आश्रित हैं, 16.9 प्रतिशत कुछ हद तक आश्रित हैं। शहरी वृद्धों में 75.75 प्रतिशत पूर्ण रूप से परिवार पर आश्रित हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य जो आश्रित सूची में सबसे शिखर पर है, 88 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण वृद्धाएं तथा 85 प्रतिशत शहरी वृद्धाएं पूर्ण रूप से परिवारजनों पर आश्रित हैं।

इस ब्यौरे से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज का करीब 8 प्रतिशत भाग वृद्धों का है, और उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृद्धों की बहुत-सी बुनियादी जरूरतें हैं जिन्हें न तो समाज और न ही सरकार खास नजरिए से देख पा रही है। वृद्धावस्था और शारीरिक रोग दोनों ही समानार्थक शब्द प्रतीत होते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में शारीरिक रोगों का आना स्वाभाविक ही माना जाता है। परंतु उस स्वाभाविकता के लिए उपरोक्त निदान की अभी कोई जगह नहीं है। इस व्याख्या को आगे बढ़ाने से पहले हमारा यह जानना अति आवश्यक है कि आखिर क्या बुनियादी जरूरतें हैं इन जनसंख्या (वृद्ध) की, जो दूसरों से अलग हैं।

वृद्धों की बुनियादी जरूरतें

बुनियादी तौर पर स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक जरूरतें प्रत्येक वृद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर यह पाया गया है कि यह तीनों आपस में जुड़ी इकाई हैं। उदाहरणार्थ सामाजिक-आर्थिक

हालात वृद्धावस्था से मिलकर विभिन्न लक्षणों को जन्म देते हैं। दवाइयों के बढ़े हुए दाम, परिवार की बंधी आय, परिवार का आकार, जरूरतों के साथ बदलती हुई परिवार-जनों की भावनाएं, अस्वस्थ वृद्ध व्यक्ति को और ज्यादा चिड़चिड़ा बना देती हैं। यह चिड़चिड़ापन कब तनाव तथा एकांकीपन का शिकार बना देता है पता ही नहीं चलता। प्रत्येक वर्ग के वृद्ध में नाना प्रकार की परेशानियां पाई जाती हैं। अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है गरीबी से जूझता हुआ वृद्ध। आर्थिक स्थिति के प्रकोप से उधार, भुखमरी तथा बीमारियां बढ़ती हैं। आगे चलकर यही कुपोषण का रूप ले लेता है। कुपोषण के कारण स्वास्थ्य और बिगड़ेगा, बीमारी और लंबी होगी। जिस युवा पीढ़ी पर यह वृद्ध आश्रित है, उन पर आर्थिक तथा मानसिक दबाव पड़ जाता है।

वृद्धों के स्वास्थ्य की 'परिभाषा' अभी भारतीय समाज में स्पष्ट नहीं है। पूर्वी देशों में पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं, समय का उचित उपयोग, विश्राम समय, सामूहिक गतिविधियों में भाग के अधिकारों को उचित रूप से स्वीकारा गया है। अकेलापन इत्यादि को बुढ़ापे का दूसरा पहलू माना जाता है। आज के बदलते हुए सामाजिक ढांचे के स्वरूप, वातावरण तथा मान्यताओं को अपने आप ठीक प्रकार से समायोजन कर ढाल पाना वृद्धों के लिए असहनीय हो गया है। आज के समाज में स्थित 'सन्तति अन्तराल' वृद्धों की समाज में पहचान तथा परिवार में सार्थकता को पूरी तरह से नकारता है।

वृद्धाओं की आवश्यकताओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अत्यधिक गहन हैं। प्रजनन आयु में विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकार तथा बीमारियां महिलाओं पर बुरा असर छोड़ती हैं। यह रजोनिवृत्ति या रजोनिवृत्ति के बाद तक चलती रहती हैं। आयु से जुड़े जैविक-क्षय तथा अत्यधिक प्रचारित नाना प्रकार की दीर्घ-स्थायी, नष्टधर्मी (डिजनरेटिव) व्याधियां वृद्धाओं को मृत्यु की दिशा में धकेलती हैं।

वृद्धाओं के जीवन में दो मुद्दे आपस से जुड़े हैं। यही मुद्दे उनके 'स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक' स्थिति पर भी अत्यधिक बुरा असर छोड़ते हैं—

- जीवनभर लैंगिक भेदभाव 'गर्भाशय से मृत्यु तक'।
- विधवा जीवन।

बालिका शिशु अत्यधिक मामलों में अनचाही (पसंद से नहीं संयोग से) संतान होती है। इसका कारण है बालक शिशु को प्राथमिकता देना। लिंग परीक्षण कर अपनी बालिकाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकार के कड़े रवैये के बावजूद सामाजिक

वृद्धाओं की श्रेणियां	स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों के प्रकार	आर्थिक जरूरतों के प्रकार	सामुदायिक जरूरतों के प्रकार
युवा-वृद्ध	प्रति माह स्वास्थ्य देखरेख, खासतौर पर प्रसूति एवं स्त्री रोग।	ज्यादातर निजी आय के साधन हों। जरूरत है कम दाम पर भोजन तथा दवाइयों की।	सामाजिक तौर पर जुड़े हैं-स्वयंसेवी संस्थान, कुछ योजनाएं बना सकती हैं।
अत्यधिक वृद्ध	स्वास्थ्य सेवाएं जो घर के द्वार तक संभव हों।	कुछ आर्थिक मदद जरूरी है, कम दाम पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाए।	वृद्धाश्रम तथा स्वयंसेवी संस्थाएं।
शहरी मध्य स्तर युवा वृद्ध तथा अत्यधिक वृद्ध	समाहित स्वास्थ्य सेवाएं बहिरंग रोगी विभाग द्वारा जो कि खास कर वृद्धाओं के लिए हों।	वृद्धावस्था पेंशन, कम दाम पर भोजन तथा दवाएं।	वृद्धजनों द्वारा संचालित संस्थाएं 'डे केयर' सेंटर में जागरुकता के कार्यक्रम चलाए जाएं जो अधिकार और कल्याण के बारे में ज्ञान दें।

भ्रांतियां इसे हवा देती हैं। यही बालिका यदि बच गई तो उसे सहना होगा कुपोषण, यह बालिका भोगती है रक्ताल्पता, विभिन्न प्रकार के कुपोषण तथा विसंक्रमित वृद्धि।

इन बालिकाओं का रीति-रिवाज के तहत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। जल्द ही गर्भाधारण करने से यह बालिकाएं निम्न जन्म भार के शिशु को जन्म देती हैं। निम्न जन्म भार के शिशु को मां से बेटी, बेटी से बेटी में चलते इस चक्र को ही भारत में अंतर वंशागत कुपोषण कहा जाता है।

भारत में कुल 51.8 प्रतिशत विवाहित महिलाएं खून की कमी (रक्ताल्पता) से ग्रस्त हैं। सन् 1998-99 में 18 वर्ष से कम उम्र में विवाहित होने वाली महिलाएं 50 प्रतिशत थीं। भारत में 33 प्रतिशत जन्म लेने वाले शिशु निम्न जन्म भार के होते हैं। 40.8 प्रतिशत बालिकाएं (1-5 वर्ष की आयु में) कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। कम उम्र में शादी से युवतियां पूरी प्रजनन आयु में भोगती हैं-

- अल्पायु में गर्भवती होना।
- बहुत कम अन्तराल में गर्भवती होना।
- प्रजनन आयु के दौरान अत्यधिक गर्भाधारण करना।

स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में गरीब महिलाएं चाहे ग्रामीण हों या शहरी यह माताएं अनेक प्रसूति तथा स्त्रीरोग संबंधी रूग्णताएं, उदाहरणार्थ गर्भाशय भ्रंश, अनेक संक्रमण, यौन संक्रमित रोग

इकट्ठा करती जाती हैं। प्रजनन आयु समाप्त होने से भी यह सिलसिला समाप्त नहीं होता। शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां रजोनिवृत्ति तथा रजोनिवृत्ति के बाद तक अपनी जड़ें फैलाई रहती हैं। तनाव, अकेलापन, ओस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं जन-स्वास्थ्य के लिए समस्या बनी हुई हैं। महिलाओं की इस कथित अवस्था का सबसे बड़ा कारण है गरीबी। भारत में 26.1 प्रतिशत (2000) जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त है। आर्थिक रूप से पिछड़ी 'वृद्ध-महिलाओं' को 'अवांछित' माना जाता है।

वृद्ध महिलाओं की मानसिक स्थिति

वृद्ध महिलाओं में मानसिक अस्वस्थता अधिकाधिक पाई जाती है। इनमें पाई जाने वाली रूग्णताएं हैं-तनाव तथा डीमेंशिया। तनाव जो कि एक आम बीमारी है सामाजिक अकेलेपन या खालीपन के कारण होती है। विधवा वृद्ध महिलाएं जो वृद्ध-प्रताड़ना से ग्रस्त होती हैं ज्यादातर इस बीमारी का शिकार बनती हैं।

डीमेंशिया में ऐसा देखा गया है कि एलजाइमर रूग्णता पुरुषों के बजाय महिलाओं पर ज्यादा असर करती है। एलजाइमर इस सदी में कैंसर जैसे रोग को पीछे छोड़ सबसे घातक सिद्ध हो रहा है। मानव की स्मरण शक्ति को छीन लेना, जो कि ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। इस बीमारी में मानव मस्तिष्क तो मर जाता है परंतु शरीर जीवित रहता है।

वृद्ध महिलाओं की जीवन-व्याख्या यह तब तक सीमित रहेगी जब तक हम रजोनिवृत्ति या रजोनिवृत्ति के पश्चात् की बात न कर लें। जीवन के इन दोनों चरणों में बहुत-सी शारीरिक रूग्णताएं महिलाओं को एस्ट्रोजन की कमी के कारण ग्रसित कर लेती है। हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अब आमतौर पर इस्तेमाल में लाई जा रही है। इससे 'एस्ट्रोजन के स्तर' पर काबू पाया जा सकता है किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़ी वृद्धाएं इस सबसे बहुत दूर हैं। जीवन के इस दौर में महिलाओं को सामाजिक एवं मानसिक शोषण को भी सहन करना पड़ता है। इससे ग्रस्त रोगी इसी अवस्था में 5 से 12 वर्ष तक जीवित रहते हैं जिसमें सजातीय क्रियाएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। आखिर में कुछ वर्षों में ग्रसित व्यक्ति सिर्फ मांस का एक लोथड़ा भर रह जाता है, किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़े इस सबसे बहुत दूर हैं।

ज्यादातर महिलाएं परिवार में अपने ही लोगों द्वारा प्रताड़ित होती हैं। बोलचाल में प्रताड़ना, अपने ही बच्चों के द्वारा या फिर बच्चों द्वारा समय से खानपान देने में अनदेखी, दिनचर्या की अन्य आवश्यकताओं जैसे कपड़ा, साफ-सफाई, इत्यादि को नजरअंदाज करना। मुख्यतः निम्न के शोषण की वृद्ध महिला शिकार बनती हैं।

- शारीरिक प्रताड़ना- मारपीट।
- मानसिक प्रताड़ना - उन पर चिल्लाना, उनकी जरूरतों को अनदेखा करना अथवा अन्य मानसिक आघात।
- रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा न करना-भोजन, दवाइयां इत्यादि।
- देखभाल करने वाला अपने निजी स्वार्थ के लिए वृद्धों के आर्थिक स्रोतों का शोषण करे (पेंशन, सम्पत्ति इत्यादि)। वृद्धों के लिए सरकार ने 'वृद्धों की नीति' बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को समाहित करने का प्रयास किया। संविधान ने भी वृद्धों की समस्याओं को मानते हुए कुछ बिल पास किए हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में वृद्धों का शोषण करने वाले पारिवारिक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

वृद्धों के लिए संवैधानिक प्रावधान

वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति

1999 में यह नीति सरकार ने घोषित की। वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण (स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण) आश्रय, शिक्षा, कल्याण तथा जान और माल की सुरक्षा जैसे मुद्दों को इसमें

समाहित किया गया है। यह नीति सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के संगठन व सहयोग पर भी जोर देती है।

वृद्धावस्था तथा आमदनी सुरक्षा

सेवानिवृत्ति के बाद की तीन योजनाओं में हैं -कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और लोक भविष्य निधि। इन सभी योजनाओं के तहत सेवानिवृत्ति के उपरान्त वृद्ध व्यक्ति पेंशन के रूप में अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता है। परन्तु वह वृद्ध जनसंख्या जो असंगठित क्षेत्रों में जीवन भर काम करते रहे, उनके लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

वृद्धों को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ

- विधवाओं के लिए पेंशन योजना।
- पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन।
- आयकर में छूट।
- जीवन बीमा योजना।
- चिकित्सा बीमा।
- यात्रा में रियायत।
- बैंक जमा खाते में ज्यादा ब्याज दरें।
- रेलवे बुकिंग के लिए अलग से काउन्टर।

इसके अलावा सरकार ने इस 8 प्रतिशत जनसंख्या जिसमें से आधे से ज्यादा ग्रामीण वर्ग के हैं, किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई है। ग्रामीण वृद्ध महिलाओं की परिस्थिति तो और भी ज्यादा खराब है।

स्वयंसेवी संस्थाएं इस प्रयास में सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। ग्रामीण वृद्धाओं की आर्थिक तथा स्वास्थ्य समस्याओं के निदान हेतु सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। आवश्यकता है आधुनिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की। पारिवारिक इकाई जिसकी पहचान कहीं खोती जा रही है, आवश्यकता है उसे सामाजिक तथा सामुदायिक तौर पर पुख्ता बनाने की। आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर पिछड़ी वृद्धाओं को शोषण के प्रकोप से बचाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर समाहित प्रयास करने की आवश्यकता है।

(लेखिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामाजिक विज्ञान विभाग में अनुसंधान अधिकारी हैं।)

ई-मेल : vandanaabhattacharya@rediffmail.com



मोजड़ी का काम - मनचाहे दाम

प्रेरणा अग्रवाल

कल्पना कीजिए कि भारत जैसा देश, ग्रामीण परिवेश और उसमें महिला वो भी निर्धन, निरक्षर तथा दलित वर्ग की, यह सब सोचकर ही हम उसकी स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपना जीवनयापन कैसे कर रही होगी। उसकी पारिवारिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति क्या होगी। महिला होना, गरीब होना और साथ ही दलित होना कोई अभिशाप से कम नहीं है, परन्तु यदि उनके हौंसले बुलन्द हों, उसमें कुछ कर दिखाने की चाह हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, अपने आप को मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने की उमंग हो तो वह सब कुछ कर सकती हैं। अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। जिस प्रकार चिड़िया जैसा छोटा परिन्दा भी दृढ़ इच्छा-शक्ति एवं मजबूत इरादों के द्वारा समुद्र पार कर लेता है उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी इच्छा, लगन एवं मेहनत के द्वारा अपने सपनों को साकार कर सकता है।

ऐसा ही काम राजस्थान के जयपुर जिले के कस्बे चौमूं से सात किलोमीटर दूर बसे उदयपुरिया ग्राम की महिलाओं ने कर दिखाया है। "श्यामा स्वयंसहायता समूह" और "आरती स्वयं

सहायता समूह" में सम्मिलित, इन महिलाओं ने आर्थिक स्वावलम्बन का वो कार्य हाथ में लिया है जिसे देख-सुनकर सहसा विश्वास ही नहीं होता है। इन दोनों समूहों की महिलाएं वो कार्य कर रही हैं जिसे पुरुषों का कार्य माना जाता रहा है। नये युग की इन जागृत महिलाओं ने चमड़े की जूतियां बनाकर अपनी गरीबी से मुक्ति पाई है तथा इनसे प्रेरणा पाकर गांव की अन्य महिलाएं भी आगे आने लगी हैं। इन महिलाओं को आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर श्रीमती मंजू जांगिड़ ने बताया कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय की ओर से एक योजना चलाई जा रही है जिसे स्वयंसिद्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 10-20 महिलाओं का समूह बनाया जाता है तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है एवं ऋण की सुविधा दी जाती है ताकि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें, बचत कर सकें तथा अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें।

इन सभी महिलाओं ने आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर की बात को ध्यान से सुना और विचार-विमर्श करके इस योजना में शामिल होने का संकल्प लिया किन्तु उन्हें यकायक घर-परिवार के पुरुष सदस्यों का समर्थन नहीं मिला बल्कि प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, किन्तु उन्होंने लड़ने-झगड़ने की बजाय शालीनता एवं दृढ़ता से अपनी बात परिवार के पुरुषों के सामने रखी तथा उनका समर्थन एवं सहमति पाकर आगे बढ़ीं। आज ये महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत इन महिलाओं के समूह को मोजड़ी (जूती) बनाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इनकी मोजड़ी इतनी प्रसिद्ध है कि वह भारत ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी निर्यात होती है तथा शौक से पहनी जाती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाली प्रदर्शनियों एवं हाट मेलों में इन मोजड़ियों की धूम मची हुई है। इन समूहों द्वारा निर्मित जूतियां तुलनात्मक रूप से सुन्दर, आधुनिक फैशन, वजन में हल्की तथा पैरों के लिए आरामदायक होती हैं। अतः न केवल ग्रामीणजन बल्कि शहरी लोग भी खरीद रहे हैं। शहरों में तो इनकी जूतियों के मनचाहे दाम मिलते हैं।

इस समूह की सफलता को जानकर लेखिका को इनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। गांव पहुंचने पर लेखिका ने देखा कि समूह की सभी औरतें अपने काम में व्यस्त थीं। सभी के हाथों में चमड़े की जूतियां बनाने के विभिन्न प्रकार के औजार थे जैसे – रापी, आरी,

चोबनी, कटार, रापों, सिल्ली आदि। समूह की महिलाएं चमड़ा साफ करने में, कटाई करने में, फर्में तैयार करने में, कढ़ाई करने में, मोती लगाने में तथा मोजड़ियों की सिलाई करने में लगी हुई थीं। इस समूह को काम में लगा देखकर ऐसा लगा कि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। वे हर काम कर सकती हैं। अब तक यह कार्य पुरुषों के द्वारा किया जाता था लेकिन अब इस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हो जाना सराहनीय है। आज वे पुरुषों के समान कार्य करके अपने घर की आय बढ़ाने में लग गई हैं। इन महिलाओं के समूह को देखकर लगा कि योजना सफल हो रही है।

इस गांव में दो समूह इस योजना के अन्तर्गत बनाये गए हैं। जिसमें “श्यामा स्वयंसिद्धा समूह” में 15 महिलाएं एवं “आरती स्वयंसिद्धा समूह” में 13 महिलाएं शामिल हैं। महिलाएं जूतियां बनाकर अपने समय का सदुपयोग करके आमदनी कर रही हैं। ये इस योजना से जुड़कर बहुत लाभान्वित हुई हैं। उनके परिवार के जीवन-स्तर में सुधार आया है। वे अपने बच्चों को पढ़ाने लगी हैं। इस योजना से जुड़कर उन्होंने अपनी झोंपड़ी को एक पक्के मकान का रूप दे दिया है। वे अपनी आमदनी से घर चलाने में सहयोग प्रदान कर रही हैं। वे अपनी सभी जरूरी आर्थिक आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर लेती हैं। आमदनी बढ़ने से इनका रहन-सहन, खानपान तथा सुख-सुविधाओं का स्तर भी सुधरा है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी सुधार हुआ है।

इन समूहों को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 11 अप्रैल, 2002 को शामिल किया गया है। इन्हें इस योजना में दो बार भारत सरकार की ओर से स्वरोजगार एवं बचत के लिए ऋण दिया गया। पहली बार 30 हजार रुपये का ऋण दिया गया जिसे इस समूह ने मोजड़ियां बनाकर चुका दिया तथा दूसरी बार 50 हजार रुपये का ऋण दिया गया था जिसे समूह मासिक किस्तों के द्वारा चुका रहा है। इन समूहों ने अपना खाता सहकारी बैंक में खोल रखा है जिसमें बचत की राशि को जमा कराती हैं। इन समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की मासिक आय 1500-2000 रुपये हो गई है। इस आय से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं ताकि परिवार की आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी बचत के पैसों से सहायता कर सकें। इन महिलाओं में प्रत्येक समूह के लिए एक-एक



श्यामा स्वयंसहायता समूह अपने निर्मित उत्पाद के साथ

अध्यक्ष एवं एक-एक सचिव का चुनाव सर्वसम्मति से किया है जोकि समूह की सभी गतिविधियों को सम्भालती हैं। इस प्रक्रिया में लोकतान्त्रिक व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। आज इन महिलाओं के ससुर, पति, देवर, सास तथा अन्य सदस्य इनके प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि दिन के खाली समय में आर्थिक गतिविधियां कर परिवार का सहारा बन गई हैं।

हर महीने की एक निश्चित तारीख को इन दोनों समूहों की बैठक होती है जोकि समूह के पदाधिकारियों के निवास पर ही होती है। इस बैठक में महिलाएं मासिक बचत करने की, आमदनी को बढ़ाने की, सामाजिक मुद्दों जैसे शराबबन्दी, धूम्रपान निषेध, पारिवारिक झगड़े, बच्चों की पढ़ाई, टीकाकरण, बाल-विवाह पर रोक, मृत्युभोज बन्द, मौसमी बीमारियों, आतंकवाद, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विचार-विमर्श करती हैं। इनकी इस पहल से पता चलता है कि आज महिलाएं पर्याप्त जागरूक हो गई हैं।

इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को मोजड़ी बनाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों पर संचालित एक व्यावसायिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। इस 20 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से इन महिलाओं को सामूहिक कार्य करना, आर्थिक गतिविधियां चलाना तथा अपने हुनर को विकसित करने का अवसर मिला। इसमें उन्हें मोजड़ी किस प्रकार से तैयार की जाती है, का प्रशिक्षण दिया गया। पशुओं के चमड़े से कच्चे माल से लेकर मोजड़ी तैयार करने तक की हर गतिविधि को बताया गया। उन्हें नये-नये डिजाइन की जूतियां बनाना भी बताया गया ताकि आधुनिक दौर में इनका कार्य चलता रहे। इस समूह की महिलाओं से बातचीत करने पर पता चला कि इन समूह की सदस्य महिलाएं बचत राशि का आन्तरिक लेन-देन भी करती हैं। सभी महिलाएं 50 रुपये प्रति सदस्य मासिक के हिसाब से बचत करती हैं तथा उसे बैंक खाते में जमा करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर समूह की कोई भी महिला उन रुपयों को दो रुपये सैंकड़ा की ब्याज दर से उधार ले सकती हैं। उनकी सूझ-बूझ से किसी भी महिला का काम नहीं रुकता है तथा समूह के कॉरपस फण्ड में भी बढ़ोतरी होती है। इससे सभी महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकता पड़ने पर पूरी मदद कर पाती हैं। चूंकि इन महिलाओं के पुरुष परम्परागत रूप से खेती, मजदूरी या अन्य कोई कार्य करते हैं। अतः



स्वयंसहायता समूह द्वारा निर्मित आकर्षक मोजड़ियां

महिलाओं की आय परिवार को अतिरिक्त सहारा प्रदान कर रही है। परिवार में ये महिलाएं आमदनी बढ़ा रही हैं अतः पुरुष इनका अधिक सम्मान भी करने लगे हैं।

इन समूहों के द्वारा निर्मित मोजड़ियां या जूतियां जयपुर, दिल्ली तथा अन्य कई स्थानों की दुकानों पर तथा मेलों में बेची जाती हैं। इनकी मोजड़ियों को बहुत पसन्द किया जाता है। ये महिलाएं इस योजना से जुड़कर बहुत लाभान्वित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे मृत पशुओं की खाल से चमड़े को गलाने, पकाने तथा रंगने का कार्य भी खुद ही करती हैं जिसे देख पुरुष भी अचम्भा करते हैं।

लेखिका के द्वारा जब इन महिलाओं के समूह से आगे आने वाले समय की योजनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस योजना का हिस्सा बनकर बहुत लाभ हुआ है। वे आत्मनिर्भर हो गई हैं तथा अपने परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकती हैं। वे चाहती हैं कि वे हमेशा इसी तरह की सुन्दर-सुन्दर मोजड़ियां बनायें तथा लोग उनकी मोजड़ियां खरीदते रहें। भविष्य में वे अपनी एक दुकान बनाकर स्थायी विक्रय केन्द्र विकसित करना चाहती हैं। यह भी चाहती है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पायें तथा सुखी समाज का निर्माण हो। इन समूहों की सदस्यों ने स्वीकारा कि उनकी निरक्षरता के कारण कई बार कार्य में समस्याएं आती हैं। अतः वे अपनी बेटियों को खूब पढ़ायेंगे ताकि उन्हें सुखद एवं सफल जिन्दगी मिले।

(लेखिका राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की शोध छात्रा है)

एनएफएसएम - दालों की उत्पादकता बढ़ाएं समृद्धि लाएं खुशहाली बढ़ाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) किसानों के लिए लेकर आया है बेहतर फसल प्रबंधन एवं प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार हेतु कई उन्नत तरीके, बीज, उर्वरक, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों का लाभ।



दालों की अच्छी उपज में सहायक सुझाव

- चना, मटर और मसूर की बुवाई के 15-20 दिनों बाद हाथ से खरपतवार हटाएं।
- चना, मटर और मसूर को फसल पर हल्की सिंचाई देकर पाले की मार से बचाएं।
- चना, मसूर और मटर में शाखा निकलने और फली आने पर दो बार सिंचाई करें।

एनएफएसएम की ओर से किसानों को निम्नलिखित सहायता

- गुणवत्तापूर्ण बीज 12रु. किलो की दर पर या बीज की लागत का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- चूना/जिप्सम 750रु. प्रति हेक्टेयर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए 500 रु.।
- स्प्रींकलर की खरीद प्रति किसान 7500रु. या लागत के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- आईपीएम को प्रोत्साहन 750रु. प्रति हेक्टेयर।
- रोटोवेटर की खरीद प्रति किसान 30,000रु. या उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लांटर और सीड ड्रिल की खरीद प्रति किसान 15,000रु. या मशीन की लागत का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- नेपसेक स्प्रेयर की खरीद प्रति मशीन 3000रु. या लागत के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- पम्प सेट 10,000रु. की दर पर या लागत के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।



कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें, या डायल करें टोल फ्री नं. - 1551 - किसान कॉल सेंटर

किसान की उन्नति - देश की प्रगति

विदर्भ की महिलाओं की पथप्रदर्शक

कन्हैया त्रिपाठी

कहते हैं कि जिनके पास ज़ुबान होता है वह अपना रास्ता बना ही लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है विभा गुप्ता, जिन्होंने तमाम मिथकों को तोड़कर अपने ग्रामीण नेतृत्व का लोहा मनवा लिया है। उन्होंने न सिर्फ अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट ऊंचाइयों का आयाम दिया बल्कि महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ इलाके की उन स्त्रियों के जीवन को संवारा, जो अपने जीवन से निराश थीं। विभा गुप्ता ने यह साबित कर दिया है कि स्त्रियां किसी की मोहताज न बनकर स्वयं अपना रास्ता बना सकती हैं।

विभा गुप्ता ने अपना जीवन उस समय स्त्रियों के लिए समर्पित किया जब विदर्भ की ग्रामीण महिलाओं को उनकी दिशा देने की जरूरत थी। कनाडा और नीदरलैण्ड से सोशल साइंस में स्नातकोत्तर और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग रूरल वूमन में आई.आई.टी दिल्ली से पी.एच.डी. करने के बाद विभा चाहतीं तो उनको एक से बढ़कर एक नौकरियां करने का सुअवसर मिलता।

विभा कई ऐसी नौकरियों का परित्याग करके महिलाओं के बीच गांवों में जा-जाकर उनकी काउंसलिंग करतीं, समझातीं-बुझातीं और स्त्रियों में वह चेतना लाती हैं जिससे हाशिए पर खड़ी स्त्री स्वावलम्बी स्त्री की कतार में खड़ी हो सकें। वर्धा के सेलू गाँव से उन्होंने महिला बचत समूह की शुरुआत की। इस समूह को बनाने में उन्हें पहले तो बहुत ही परेशानियां आयीं किंतु उन्होंने कभी भी

पीछे मुड़कर नहीं देखा। यद्यपि वह स्वीकार करती हैं कि उनके पिता डॉ. देवेन्द्र कुमार का अद्भुत सहयोग उनके जीवन में रहा किंतु महिलाओं में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करने की शुरुआत उन्होंने ही की। ग्रामीण जन-जीवन में विज्ञान और वैज्ञानिक अभिरुचि के लिए विभा ने 'विज्ञान केंद्र' 1980 में स्थापित किया। यह विज्ञान केंद्र वर्धा के मगन संग्रहालय समिति के माध्यम से शुरू किया गया, जिसकी वर्तमान में वह अध्यक्ष हैं।

महिला सशक्तिकरण को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, विभाजी ने इसकी पहल की। वूमन साइंस सेंटर के बाद विभा ने वूमन टेक्नॉलाजी सेंटर की भी शुरुआत की। इसके माध्यम से उन्होंने विदर्भ की दस हजार महिलाओं को तकनीकी रूप से दक्ष किया। ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र के माध्यम से व ग्रामीण प्रौद्योगिकी के द्वारा

वर्धा में ग्रामीणों के बीच विभा गुप्ता



विदर्भ की सफल नारियों में अपना महत्वपूर्ण कद रखने वाली मगन संग्रहालय समिति, वर्धा की अध्यक्ष डॉ. विभा गुप्ता से लेखक ने बातचीत की।

प्रश्न : विभाजी, आपका समाज सेवा की ओर रुझान कैसे हुआ?
डॉ. विभा : आपका यह प्रश्न वाजिब है किन्तु सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करना क्या उचित नहीं है? विदेश में पढ़ाई के बाद भी अपनी जगह से जुड़कर कार्य करने में मुझे खुशी है।

प्रश्न : विदर्भ की महिलाओं के बीच काम करते हुए आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर जब आप महिलाओं के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिनव मुहिम चला रही थीं।

डॉ. विभा : महिलाओं के बीच काम करने में कठिनाई हो सकती है, किन्तु मुश्किल नहीं है। महिलाओं में वह सभी सम्भावनाएं हैं, जो स्वघोषित शक्तिशाली समाज यानी पितृसत्तात्मक समाज स्वयं में देखता है। विदर्भ की महिलाएं शिक्षा की जागरूकता के अभाव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गौण भले मानती रही हों, किन्तु तकनीकी क्षेत्रों व वैज्ञानिक महत्व को तो आखिर उन्होंने पहचाना और आज वह कामयाब हैं। जहां तक शुरुआती दिनों में मुश्किलें आने का सवाल है तो हरेक कार्य में मुश्किलें आती ही हैं। लेकिन मुश्किलें मेरे उत्साह को बढ़ाती हैं।

प्रश्न : आपको सरकारी सहयोग प्राप्त होते हैं?

डॉ. विभा : सरकारी सहयोग हम बहुत मामूली पाती हैं, किन्तु भारत सरकार के कुछ मंत्रालय, कर्पाट आदि से मुझे कुछ सहयोग मिलता है। यह बात मैं जोर देकर कहूंगी कि हमारी बचत समूह की महिलाएं

स्वावलम्बन पर ज्यादा भरोसा करती हैं और उससे हमारा उत्साह ज्यादा बुलन्द हुआ है। सरकारी सहयोग की कुछ सीमाएं भी हैं।

प्रश्न : आपने अभी जो उपलब्धियाँ अर्जित की हैं उसके बारे में कुछ बताएंगी।

डॉ. विभा : मेरी उपलब्धियां मेरे बताने से मेरी आत्मश्लाघा ही कहा जाएगा किन्तु विदर्भ के सेलू गांव में जो महिलाओं ने अपने उपक्रम से लाभार्जन किया है, वह जरूर मेरी उपलब्धियां हैं। किसानों ने इस वर्ष 2 करोड़ से अधिक धन की बचत की तो वहीं महिलाओं के लगभग सवा सौ प्रोडक्ट उनकी समृद्धि में सहयोग कर रहे हैं। आर्गेनिक खाद व हर्बल औषधि, गोबर गैस के प्रयोग से फैलती रोशनी, स्वच्छता के लिए शौचालय की व्यवस्थाएं और अन्य कई ऐसे उपक्रम हमने 1000 महिलाओं के माध्यम से बनाए हैं जिससे उनकी जीविका तो चलेगी ही, साथ ही वह खुद नेतृत्व भी कर सकती हैं।

प्रश्न : महिला नेतृत्व के बारे में आपका क्या विचार है ...?

डॉ. विभा : हमें महिला नेतृत्व को प्रखर बनाने की जरूरत है। हम से जुड़ी नौ महिलाएं ग्राम सदस्य, सरपंच और जिला पंचायत की सदस्य हैं, यह हमारी उपलब्धि है। आमतौर पर महिलाएं देशभर में लीडरशिप के नाम पर केवल नाम से जानी जाती हैं, किन्तु हमारे यहाँ की महिलाएं स्वयं आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, यह अच्छी बात है।

ग्रामीण लोगों को व्यवसाय उपलब्ध कराकर विभा ने यह साबित किया कि हम कोई भी मुकाम अर्जित कर सकते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता में भ्रम है। आज मगन संग्रहालय समिति के माध्यम से लगभग 30 हजार सस्ते परन्तु टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल गृह निर्माण, 10 हजार स्वच्छ शौचालय, 20 हजार गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया गया है। इसी के साथ 30 हजार ग्रामीण कारीगरों को उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। विभा के नेतृत्व में समिति के माध्यम से देश के 22 राज्यों में आंदोलन छेड़कर दो लाख से ज्यादा कारीगरों का एक संघ निर्मित किया गया है, जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर मजदूर समाज के स्वरोजगार के लिए काम कर रहा है।

मिट्टी के कुल्हड़ों का स्थान प्लास्टिक के गिलासों ने ले लिया, यह एक सच्चाई है। भारत के लाखों कुम्हार ऐसी स्थिति में भूख व गरीबी का दंश झेल रहे हैं। इसी जाति के लगभग 200 कुम्हारों के परिवार वर्धा में भूख के कारण मरने के कगार पर पहुंच चुके थे। ऐसे कुम्हारों में जन-जागृति फैलाकर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस से निर्मित हो रही मूर्तियों के खिलाफ आंदोलन चलाकर विभा ने कुम्हारों को बचाया। मगन संग्रहालय समिति के जरिए उन्होंने गांधी जी द्वारा आज़ादी के समय एक हथियार के रूप में अपनाए गए चरखे को एक बार पुनः इन भूखे लोगों और विदर्भ की महिलाओं के बीच लाकर यह साबित किया कि चरखा अब भी हमें स्वावलम्बी बनाने में सक्षम है। इसी प्रकार समिति ने पर्यावरण संरक्षण व जैव अनुकूल वन्य कपड़े के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए रंगों के विकल्प के रूप में 200 रंगों की जैविक डाई तैयार की है। इसमें अधिकांश

रंग स्थानीय वन उत्पादों-आम, पलाश, बेहड़ा, आदि से बनते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग का भी एक सस्ता पर्यावरण अनुकूल विकल्प विकसित किया गया है। इस अभिनव तकनीक में ताजे हरे पत्तों का प्रयोग किया जाता है और तकनीक में केवल हरे पत्ते में एक डिजाइन को न्यूनतम 200 बार कपड़े पर छापा जा सकता है।

विभाजी ने स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर भी अद्भुत प्रयास किया, जिसमें निजी शौचालय को प्रोत्साहन, गांव की साफ-सफाई के लिए शौचालय व स्नानघर का सेट बनाने पर बल दिया। नौ गांवों में वाटरशेड भी विकसित किया गया व 2000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का भी प्रयास हुआ। आज वर्धा के नौ गांवों में वाटरशेड के इन सभी कार्यों में महिलाएं बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं।

इनके प्रयास के परिणामस्वरूप आज विदर्भ क्षेत्र की वर्धा जिले की तीन महिलाएं ग्राम सदस्य हैं तो वहीं छह गांव की महिलाएं सरपंच हैं। महिलाएं जिला परिषद की सदस्य हैं। विभाजी ने 550 स्वयंसहायता समूह बनाए जिसमें 1000 से अधिक महिलाएं सदस्य हैं।

विदर्भ किसान आत्महत्या के लिए जाना जाता है। लेकिन विभा के प्रयास किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। 120 प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करके किसानों व महिला किसानों के बीच स्वावलम्बन का एक अनूठा प्रयास बेहद ही प्रशंसनीय है। महिला समूहों ने 1000 प्रति परिवार के हिसाब से कुल एक लाख रुपये भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा में जमा किए ताकि उन्हें दस लाख रुपये का कर्ज मिल सके। इस समिति से जुड़े किसानों ने दो करोड़ रुपये की बचत की है।

(लेखक स्वतंत्र लेखन, शोध एवं अध्यापन कार्य में व्यस्त हैं।)
ई-मेल : kanhaiyatripathji@yahoo.co.in

महिलाओं के लिए वरदान है सोलर कुकर

डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल

सोलर कुकर में भोजन पकाने से पूर्ण रूप से पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को खत्म किया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार सोलर कुकर के नियमित उपयोग से दो किलोग्राम लकड़ी की बचत प्रतिदिन की जा सकती है, साथ ही समय और श्रम को भी बचाया जा सकता है। सोलर कुकर पूरे वर्ष उपयोग में लिया जाए तो ३-४ गैस सिलेण्डर की बचत होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत होती है। एक साथ इसमें चार व्यंजन २-३ घंटे में आसानी से पकाए जा सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर हमारे देश की तीन प्रतिशत जनता सोलर कुकर द्वारा खाना बनाने लगे तो लगभग ३.२ मिलियन टन लकड़ी की प्रतिवर्ष बचत हो सकती है। इसके अलावा इससे लगभग ६.७ मिलियन टन कार्बन-डाई-आक्साइड का प्रतिवर्ष उत्पादन कम होगा जोकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा।

भारत की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, गोबर के कण्डे तथा कृषि अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। पारम्परिक चूल्हों में इनके उपयोग से जलते समय निकलने वाले धुएँ से घर का वातावरण प्रदूषित

होता है; दीवारें, बर्तन एवं घरेलू सामान गन्दा होता है। घर के सदस्यों विशेषकर भोजन पकाने वाली महिलाओं एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं आंखों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके उपयोग से हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। शहरी क्षेत्रों में रसोई ईंधन के रूप में प्रायः कोयला, मिट्टी का तेल,




द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) प्रयुक्त होती है। इन स्रोतों की भविष्य में उपलब्धता पर लगे प्रश्न चिन्हों एवं अनवरत बढ़ती कीमतों के कारण इन्हें भी रसोई ऊर्जा का दीर्घकालीन समाधान नहीं माना जा सकता है। इसके उपयोग में भी पर्यावरण एवं सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है।

हमारे देश में वर्ष में 300 दिन तक अच्छी धूप का उपयोग हम सोलर कुकर से भोजन पकाने में कर सकते हैं। विशेषकर गर्मियों में देश के अधिकांश राज्यों में दिन का तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गर्मियों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम पारम्परिक ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इस बची पारम्परिक ऊर्जा का उपयोग अन्य क्षेत्रों में देश के त्वरित आर्थिक विकास हेतु किया जा सकता है। घरेलू क्षेत्र में सोलर कुकर सौर ऊर्जा के उपयोग का महत्वपूर्ण साधन है।

सोलर कुकर का इतिहास

राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने वर्ष 1950-60 के दौरान सौर ऊर्जा का भोजन पकाने में उपयोग करने की दिशा में उल्लेखनीय अनुसंधान अध्ययन करते हुए, विभिन्न प्रकार के संकेन्द्रण सोलर कुकरों का निर्माण किया था, जिनमें परवलयकार परावर्तकों का उपयोग किया गया था। अनेक कारणों की वजह से ये लोगों में प्रचलित नहीं हो पाए। वर्ष 1965 में बॉक्सनुमा सोलर कुकर के प्रथम मॉडल का निर्माण हुआ था जो अब तक मूलतः अपरिवर्तित हैं। देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों में सोलर कुकर के विभिन्न



चित्र1: बॉक्सनुमा सोलर कुकर की संरचना

1. समतल दर्पण (मिरर) 2. दर्पण का आधार 3. शीशे की चदर (ग्लेसिंग प्लेट) 4. पकाने का बर्तन 5. तापीय रोधन (एब्सोर्बर) 6. ग्लेसिंग स्ट्रिप 7. केस्टर व्हील।

डिजाइनों/मॉडलों पर भी कार्य किया गया लेकिन अन्य किसी प्रकार की सोलर कुकर की डिजाइन प्रचलित नहीं हो पायी।

भारत सरकार के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (पहले अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग) द्वारा बॉक्सनुमा सोलर कुकर के बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए थे। इनमें प्रारम्भिक लागत में अनुदान, बैंकों द्वारा ऋण एवं किस्तों पर सोलर कुकर की कीमत चुकाने आदि की सुविधाएं उपलब्ध थी। वर्तमान में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सोलर कुकर पर किसी प्रकार का कोई अनुदान देय नहीं है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार हमारे देश में 31 मार्च, 2007 तक 6.03 लाख बॉक्सनुमा सोलर कुकर अब तक देश में वितरित किये जा चुके हैं, लेकिन हमारे देश की विशाल जनसंख्या एवं देश में उपलब्ध प्रचुर सौर ऊर्जा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सोलर कुकर वितरण की उक्त संख्या वस्तुतः नगण्य है। अब तक वितरित सोलर कुकरों की संख्या का कितना प्रतिशत भोजन पकाने व अन्य घरेलू कार्यों में उपयोग किया जा रहा है, यह भी विवादास्पद है।

बॉक्सनुमा सोलर कुकर

आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर उपलब्ध हैं। यहां सरल व आसानी से काम में लिए जाने वाले सोलर कुकर का वर्णन किया जा रहा है। यह एक दोहरी दीवाल का बॉक्स होता है (चित्र 1) जिसमें ऊपर से दो पारदर्शी शीशे ढक्कन के रूप में होते हैं। बाहरी बॉक्स लकड़ी, लोहे की चादर का बना होता है, जबकि भीतरी बॉक्स जस्तेदार लोहे, मृदु इस्पात अथवा एल्युमिनियम की चादर से बनाया जा सकता है। भीतरी दीवारों तथा निचले पैंदे पर काले रंग का रोगन लगा दिया जाता है, जिससे आपतित सौर-किरणें भली-भांति अवशोषित हो सकें।

यह भोजन पकाने का एक आदर्श सोलर कुकर है जिसमें परिवार के 4-5 सदस्यों का खाना एक साथ पकाया जा सकता है। सोलर कुकर में भोजन पकाने से पूर्ण रूप से पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को खत्म किया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार सोलर कुकर के नियमित उपयोग से 2 किलोग्राम लकड़ी की बचत प्रतिदिन की जा सकती है, साथ ही समय और श्रम को भी बचाया जा सकता है। सोलर कुकर पूरे वर्ष उपयोग में लिया जाए तो 3-4 गैस सिलेण्डर की बचत होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत होती है। एक साथ इसमें चार व्यंजन 2-3 घंटे में आसानी से पकाए जा सकते हैं।



विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर

आजकल विद्युत के साथ या विद्युत के बिना दोनों तरह के सोलर कुकर उपलब्ध हैं। विद्युत के साथ वाले सोलर कुकर से सूर्य की रोशनी नहीं होने पर भी भोजन पकाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसमें विद्युत खर्च नहीं के बराबर आता है। इसमें उबालने, भूनने तथा पकाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इस पर तलने और चपाती बनाने का कार्य नहीं किया जा सकता है। आजकल विभिन्न तरह के कम वजन वाले बॉक्सनुमा सोलर कुकर उपलब्ध हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है।

बॉक्सनुमा सोलर कुकर के आकार और विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सोलर कुकर की लागत 1600 रुपये से 4000 रुपये तक है। आजकल बाजार में सामुदायिक बॉक्सनुमा सोलर कुकर उपलब्ध हैं जिसका आकार साधारण बॉक्सनुमा सोलर कुकर से तीन गुना है तथा इसकी लागत लगभग 9000 रुपये आती है। इस कुकर से 25 से 30 व्यक्तियों का खाना बनाया जा सकता है। एक अनुमान के

अनुसार अगर हमारे देश की 3 प्रतिशत जनता सोलर कुकर द्वारा खाना बनाने लगे तो लगभग 3.2 मिलियन टन लकड़ी की प्रतिवर्ष बचत हो सकती है। इसके अलावा इससे लगभग 6.7 मिलियन टन कार्बन-डाई-आक्साइड का प्रतिवर्ष उत्पादन कम होगा जोकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा।

सोलर कुकर में भोजन कैसे पकाये ?

सोलर कुकर में खाना पकाने वाले बर्तनों को कुकर में रखने से पूर्व कुकर को 15 मिनट इस प्रकार धूप में रखना चाहिए कि उसका दर्पण सूर्य के सामने हो एवं सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब नीचे वाले पारदर्शी शीशे के ढक्कन पर दिखाई दे। इसके बाद इसमें जो भी व्यंजन तैयार करना हो, उसकी सामग्री को मात्रा के अनुपात में डिब्बों में डालकर, डिब्बों का ढक्कन बंद कर कुकर में रख दें। खुले बर्तन की तुलना में खाना पकाने के लिए इसमें पानी आधी मात्रा में ही डालें। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों तथा स्थानीय मौसम के आधार पर सोलर कुकर में भोजन पकाने में एक से दो-ढाई घंटे का समय

लगता है। सोलर कुकर में भोजन के पकने का समय विकिरण की तीव्रता, भोजन सामग्री की मात्रा, सोलर कुकर के आकार एवं अनेक कारकों पर निर्भर करता है। सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कुछ अभ्यास के पश्चात् पके भोजन को बाहर निकालने के सही समय का अनुमान लगाया जा सकता है।

सोलर कुकर में चावलों को पकाने से पूर्व साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। सोलर कुकर में चार डिब्बों में एक साथ एक किलोग्राम चावल पकाए जा सकते हैं। यानी एक डिब्बे में 250 ग्राम चावल पका सकते हैं। डिब्बे में चावल डालकर इतना पानी डालें कि पानी चावल की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दे। इसमें कुछ घी भी डाल दें। डिब्बे में चावल व पानी की निर्धारित मात्रा डालकर सोलर कुकर में ढक्कन लगाकर रख दें। अगर मसालेदार पुलाव पकाने हो तो मसाला मटर आदि भी साथ में डाल दें। चावल को सोलर कुकर में रखने के पश्चात् संभालने की आवश्यकता नहीं होती है और डेढ़ घंटे के अन्दर चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। किसी कारणवश पानी की मात्रा कम भी रह जाती है तो इसमें चावल जलने का खतरा नहीं रहता है।

विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, सब्जियों को अलग-अलग बर्तनों में एक साथ रखकर पकाया जा सकता है। इसमें अलग-अलग समय लगता है। इस प्रकार जो चीज इसमें पक जाती है, उसका डिब्बा निकाल लेते हैं। इसमें चावल के अतिरिक्त अन्य सब्जियां या खाद्य पदार्थ अधिक देर तक रखे रहने पर भी खराब नहीं होते या जलते नहीं हैं।

सोलर कुकर में प्रतिदिन आहार के रूप में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, सब्जियां, विभिन्न धान्य तथा विशिष्ट आहार जैसे मुथिया, हंडावा, पत्रा, लापसी, और दूध पाक आदि को आसानी से पकाया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेड, स्नेक्स व केक आदि को भी इसमें आसानी से पकाया जा सकता है। गर्मियों में खाना पकाने में कम तथा सर्दियों में अधिक समय लगता है। सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूलगोभी व पालक आदि को पकाने में एक घंटा, चावल, दाल को पकाने में डेढ़ घंटा, ब्रेड, केक, मुथिया तथा हंडावा को पकाने में दो घंटा, गुवार, चौलाई, मटर व चना दाल को भिगोकर पकाने में दो घंटे का समय लगता है।

सोलर कुकर के लाभ

- सघन खेती के इस युग में कई किसान अपने खेतों पर ही मकान बनाकर रहते हैं ताकि समस्त कृषि क्रियाओं को वे स्वयं कर सकें तथा श्रमिकों द्वारा किये जा रहे कार्यों को भी समय-समय पर देख सकें। खेत पर वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष महीनों में पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है जिसका खेत पर उपयोग

किया जा सकता है। कुकर में जो भी भोजन बनाना हो उसे खेत के पास ही रखकर अपना काम निरन्तर कर सकते हैं।

- महिलाओं को भी भोजन बनाने में जो समय लगता है उस समय को वे खेतीबाड़ी के काम में उपयोग में ले सकती हैं, क्योंकि कुकर में एक बार भोजन सामग्री रखने के उपरान्त लगभग दो घंटे तक सोलर कुकर की ओर ध्यान दिये बगैर अपना दूसरा कृषि कार्य कर सकते हैं। खेत पर ही तैयार किया गया भोजन कार्य के बीच में खाया जा सकता है।
- सोलर कुकर सौर ऊर्जा का अगाध नवीकरणीय स्रोत का दोहन करने वाली एक साधारण प्रौद्योगिकी है। सोलर कुकर के उपयोग से पारम्परिक ईंधनों (मिट्टी के तेल, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस तथा लकड़ी आदि) को बचाया जा सकता है। इसके उपयोग से घर के अन्दर व बाहर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है ना ही हमारे स्वास्थ्य पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- सोलर कुकर में एक साथ चार व्यंजन पकाये जा सकते हैं। साथ ही खाना पकाते समय निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक निर्धारित समय पर ही इसको संभालना पड़ता है।
- भोजन में उपलब्ध पौष्टिक तत्व अपेक्षाकृत कम नष्ट होते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में भोजन कम ताप पर धीरे-धीरे पकता है।
- यह पारम्परिक चूल्हों से अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसके प्रयोग से आग लगने, विस्फोट होने अथवा बिजली का झटका लगने जैसी दुर्घटनाएं होने की संभावना नहीं है। पका हुआ भोजन सोलर कुकर के भीतर प्रकोष्ठ में अधिक समय तक गर्म रहता है। अतः शाम का खाना पक जाने पर सोलर कुकर को बंद करके रख देना चाहिए। रात्रि को जब भी भोजन करना हो उसी समय डिब्बों को बाहर निकालना चाहिए, खाना एकदम गर्म मिलेगा।
- सोलर कुकर का उपयोग भोजन को पकाने में किया जाए तो बार-बार ईंधन पर खर्च नहीं करना पड़ता। सौर ऊर्जा बिना कीमत (निःशुल्क) के उपलब्ध है। ईंधन पर खर्च होने वाले पैसे की बचत से सोलर कुकर की लागत निकल आती है।
- ईंधन की बचत उपभोक्ता के लिए वित्तीय लाभ के रूप में मानी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में विशेष सहायता मिलेगी क्योंकि ग्रामीण परिवार अपेक्षाकृत कम मात्रा में लकड़ी, कृषि अवशेष और उपले आदि जलाएंगे।

पकाते समय क्या सावधानियां रखें

- सोलर कुकर में लगे दर्पण और दोहरे कांच के ढक्कन को नर्म साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। यदि इनमें से किसी पर भी धूल की परत जमी होगी तो उससे उसकी कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा।

- भोज्य पदार्थों को पकाते समय जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही पानी उसमें डालना चाहिए।
- सब्जियों को पकाने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए। सब्जियाँ व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए ढक्कन बंद रखें, लेकिन बाटी, ब्रेड व केक पकाने के लिए ढक्कन बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- राजमा, चना, दाल, सूखे मटर आदि को पकाने से पूर्व कम से कम 12 घंटे तक भिगोना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी की मात्रा बर्तन के आधे स्तर से ज्यादा न हो। एक बार पकाने वाले बर्तन को सोलर कुकर में रखने के बाद बार-बार नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि विभिन्न खाद्य पदार्थों को पकाने में एक से दो-ढाई घंटे का समय लगता है। समय का अंदाज सोलर कुकर के साथ मिलने वाली पुस्तिका से लगा सकते हैं।
- सोलर कुकर को काम में लेने के पश्चात् अच्छी तरह से सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें ताकि अंदर की नमी सूख जाए। इसके ठंडा होने के बाद ही इसे बंद करें।
- यदि भोज्य पदार्थ का कोई भी टुकड़ा कुकर के अन्दर हो तो बाहर निकाल देना चाहिये। भोजन के पकाने के बाद ढक्कन को पूरा खोल देना चाहिए, क्योंकि अन्दर का तापमान अधिक होता है और जैसे ही हम ढक्कन को खोलेंगे अन्दर की गर्म हवा बाहर आएगी। इसीलिए कुकर के ढक्कन को खोलते

समय सावधानी रखें अन्यथा यह खतरनाक भी हो सकता है। रात के समय सोलर कुकर को बंद करके रखना चाहिये।

- सोलर कुकर को पानी और बारिश से बचाए रखना चाहिए।

सोलर कुकर की सीमाएं

उपरोक्त लाभदायी विशेषताओं के साथ-साथ सोलर कुकर की कुछ मूलभूत सीमाएं भी हैं, जिसकी जानकारी उपभोक्ता को अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा वह शीघ्र ही उत्साहरहित होकर इसके उपयोग के प्रति उदासीन हो सकता है। सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने के लिए समुचित समयान्तराल तक उच्च तीव्रता का सौर-विकिरण आवश्यक है। अतः रात्रि में अथवा आसमान पर बादल छाये होने पर दिन में भी इस पर खाना नहीं पकाया जा सकता है। इसी कारण प्रातःकाल एवं सायंकाल इसकी उपयोगिता संदिग्ध है। इसमें भोजन पकाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। जल्दी या थोड़े से समय में इसके द्वारा भोजन तैयार होने की संभावना बहुत कम होती है। सोलर कुकर के प्रचलित बॉक्सनुमा मॉडल पर न तो चपातियां बनायी जा सकती हैं और न किसी प्रकार का कोई तलने का ही काम किया जा सकता है।

सोलर कुकर के उपयोग के दूरगामी परिणामों को देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को इस साधारण प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर देश व समाज की पर्यावरण संरक्षण में मदद करनी चाहिए।

(लेखक राजस्थान कृषि महाविद्यालय के आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)

ई-मेल : khandelwalsk19@yahoo.com

सदस्यता कूपन

मैं/हमकुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूँ/चाहती हूँ/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

..... पिन

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, तल-7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110 066

एनएफएसएम – आधुनिक तकनीक अपनाएं गेहूं की उत्पादकता बढ़ाएं



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) किसानों के लिए लेकर आया है बेहतर फसल प्रबंधन एवं प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार हेतु कई उन्नत तरीके, बीज, उर्वरक, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों का लाभ।

गेहूं की अच्छी उपज में सहायक सुझाव

- गेहूं की फसल में क्राउन रूट शुरू होने पर पहली सिंचाई करें, जो बुवाई के लगभग 21 दिन बाद होती है।
- गेहूं की फसल की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल के शुरुआती चरणों में प्रभावी खरपतवार प्रबंधन सुनिश्चित करें।
- सुझाव के अनुसार अलग-अलग खुराकों में उर्वरक उपयुक्त मात्रा में डालें। नाइट्रोजन की दूसरी खुराक पहली सिंचाई के साथ दी जानी चाहिए।
- फसल पर कमी के लक्षण दिखाई देने पर जिंक या मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व का छिड़काव करें।
- कीटनाशक के साथ रेत मिलाकर दीमक पर नियंत्रण करें।

एनएफएसएम की ओर से किसानों को सुविधाएं

- गुणवत्तापूर्ण बीज 5 रु. किलो की दर पर या बीज की लागत का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- पैकेज सहायता – जिप्सम और सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 रु. प्रति हेक्टेयर परंतु जिप्सम की सहायता परिवहन लागत सहित प्रति हेक्टेयर 750 रु. या लागत के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- रोटोवेटर की खरीद प्रति किसान 30,000 रु. या उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- पम्प सेट 10,000 रु. की दर पर या लागत के 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों।
- जीरो-टिल सीड ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लांटर और सीड ड्रिल की खरीद प्रति किसान 15,000 रु. या मशीन की लागत का 50 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो।
- स्प्रींकलर की खरीद प्रति किसान 7500 रु. की अधिकतम सीमा के साथ या लागत के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।
- नेपसेक स्प्रेयर की खरीद प्रति मशीन 3000 रु. की अधिकतम सीमा के साथ या लागत के 50 प्रतिशत तक।



कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें, या डायल करें टोल फ्री नं. - 1551 - किसान कॉल सेंटर

किसान की उन्नति - देश की प्रगति

KH-3/09/3



किसानों की अपनी सब्जीमण्डी

राम प्रसाद

ग्रामीण भारत में रह रहे गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ गांव में पहुंचाकर उनकी आर्थिक व सामाजिक उन्नति करनी है तो इसके लिए सबसे पहले ग्रामीणों का संगठित होना आवश्यक है। एकता में ही बल है। इसी मूलमंत्र को ध्यान में रखकर स्वयंसहायता समूह की विचारधारा का अनुसरण कर आज देश के कई गांवों में लोगों ने अपना उत्थान कर विकास के नये आयाम स्थापित किए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा के विकास खण्ड सलूणी में बेमौसमी सब्जी उत्पादन व विपणन कर, किसानों ने प्रस्तुत किया है।

चम्बा जिला हिमाचल प्रदेश के बारह जिलों में से एक है। यह भारत के पचास अति पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है। जिले के छः विकास खण्डों में से दो पूरी तरह पिछड़े हुए व दो जनजातीय जिले हैं। इन्हीं में से सलूणी विकासखण्ड अति दुर्गम व पिछड़ा हुआ है। आज से चार वर्ष पहले इस क्षेत्र के कुछ ही किसान सब्जी उत्पादन करते थे, लेकिन सब्जी का विपणन एक बहुत बड़ी

समस्या थी। किसान टमाटर तैयार कर टोकरी में डालकर सलूणी बाजार में ले जाते लेकिन उन्हें उचित दाम न मिलता। कभी-कभी उन्हें दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचना पड़ता। ऐसे में उनका उत्पादन खर्चा भी पूरा न होता। यदि वह हिम्मत कर बस की छत पर सब्जी लादकर चम्बा ले भी जाता तो वहां आड़तिये उसका जमकर शोषण करते।

आजादी के 60 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उनकी सब्जी का नाप चम्बा बट्टी (एक तरह का राजाओं के समय का माप) में होता। कुल माप में से 3-4 किलोग्राम काट देते, तोलने में हेराफेरी और उस पर अपनी मर्जी से दाम देते। कभी-कभी किसान द्वारा विरोध करने पर सब्जी को पास ही बहती रावी नदी में फेंक देने की सलाह देकर गरीब किसान की मेहनत का मजाक उड़ाते। लेकिन बेचारा अकेला किसान मन मसोस कर रह जाता। इतना ही नहीं यदि कभी कोई नौजवान किसान पठानकोट मण्डी सब्जी ले जाने की हिम्मत करता तो रास्ते में गुण्डों द्वारा उसकी पिटाई भी की जाती। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के कारण अन्य किसान सब्जी उत्पादन के बारे में सोच भी न पाते। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि सलूणी विकासखण्ड की

भूमि व ठण्डा मौसम, बेमौसमी सब्जी उत्पाद के लिए अति उपयुक्त है। जब मैदानी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन नहीं होता है तब इस क्षेत्र में मटर, फूलगोभी, टमाटर, फ्रासबीन, शिमला मिर्च उगाने का उपयुक्त वातावरण होता है।

वर्ष 2004 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाने का एक अभियान विकासखण्ड सलूणी के माध्यम से शुरू किया गया। लगातार जागरुकता कैम्प व प्रशिक्षण उपरांत धीरे-धीरे ग्रामीणों को स्वयंसहायता समूह में संगठित करना शुरू किया। ऐसे में राष्ट्रीय सम विकास योजना स्वीकृत हुई व सलूणी विकास खण्ड के लिए बेमौसमी सब्जी उत्पादन हेतु एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। जिला स्तरीय समिति द्वारा, तीन वर्षों के लिए 225 लाख रुपये की, बे-मौसमी सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई। दिसम्बर 2004 तक 175 स्वयंसहायता समूहों का गठन विभिन्न पंचायतों में कर दिया गया था। इससे एक ऐसा वातावरण बनना शुरू हुआ कि हर गांव में समूह बनाने व चलाने की चर्चा होने लगी।

अब इसी मौके को देखते हुए कृषि विभाग के सहयोग से समूह के सदस्यों ने सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण शुरू किया, उच्च उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के बीज, छोटे-छोटे टैंक बनाकर जल संग्रहण तथा 15-20 समूहों पर एक युवा किसान के खेत में पौध तैयार की गई। किसानों को बार-बार प्रशिक्षण, उनके खेतों में उनका मार्गदर्शन, प्रोत्साहन व समस्या का तुरंत निदान करने पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप 700 बीघा भूमि पर मटर, बंदगोभी, टमाटर, फ्रासबीन आदि सब्जियां लगा दी गईं। सलूणी में पहली बार फूलगोभी के बीज किसानों को दिए गए। जुलाई, 2005 में किसानों के खेतों में सब्जियां तैयार होने लगी।

पहली बार किसानों ने अपने खेतों में फूलगोभी को उगाया था। अब समस्या विपणन की थी, लेकिन अब की बार किसान 210 स्वयंसहायता समूहों में संगठित थे। विकासखण्ड कार्यालय में जुलाई के अन्तिम सप्ताह में बैठक हुई व इस पर गहन विचार हुआ। निर्णय हुआ कि यदि पंचायत समिति द्वारा सलूणी में निर्मित दो दुकानें किसानों को दी जाए तो वहां पर सब्जी एकत्रित कर बिक्री हेतु मंडी में ले जाएंगे। स्वयंसहायता समूहों पर एक विकास खंड स्तर का संगठन बनाया गया जिसका नाम गरिमा ग्रीन गोल्ड कृषक समिति रखा गया। सभी सदस्य समूह में से थे व खण्ड विकास अधिकारी को सलाहकार बनाया गया।

10 अगस्त 2005 को सलूणी में पंचायत समिति द्वारा निर्मित दुकानों में किसानों ने सब्जी एकत्रित की। वहां सामूहिक रूप से किसानों द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों न एकत्रित सब्जी की बोली लगाकर बेचा जाए। पहला प्रयास सफल रहा तथा छः क्विन्टल सब्जी अच्छे दाम में बिक गई। अच्छा दाम पाकर किसानों के उत्साह की सीमा न रही। पहले सप्ताह में एक बार, फिर दो बार व 15 दिनों

पश्चात् प्रतिदिन वहां मंडी लगने लगी। किसान अलग-अलग पंचायतों से अपना उत्पाद लाते व वहां बेचकर अच्छा दाम पाते। कुछ बिचौलियों द्वारा प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास किए गए लेकिन किसानों की आपसी संगठन शक्ति के आगे सब असफल हो गए। गरिमा ग्रीन गोल्ड कृषक समिति द्वारा अपने लिए नियम बनाए गए, कृषि उपज विपणन का लाइसेंस बनवाया गया। इस तरह प्रथम वर्ष 27 लाख रुपये की कुल सब्जियों की बोली लगी। यह अपनी तरह की एक अनोखी मण्डी थी जिसमें उत्पादक किसान थे। आड़तिये भी किसान थे। बोली लगाने वालों में भी कई किसान थे। बिचौलियों का कोई काम न रहा। पहले वर्ष के उत्साहवर्द्धक परिणाम के पश्चात किसानों ने अगले वर्ष ज्यादा जमीन सब्जी उत्पादन के लिए रखी। 2006 में लगभग 900 बीघा भूमि पर सब्जी उत्पादन होने लगा। जून 2006 में फिर किसानों की अपनी मण्डी खुली। इस वर्ष 48 लाख रुपये का कारोबार किया गया। इसी तरह 2007 में 70 लाख व 2008 में 1 करोड़ 10 लाख रुपये की सब्जियां किसानों ने अपनी मण्डी में बेची।

आज इस मण्डी में 7 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। गरिमा समिति द्वारा एक चौकीदार व एक सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किया गया है। किसान अब संगठित हैं, उनकी योजना अब सामूहिक रूप से पुष्प उत्पादन की है। इसके लिए 100 किसानों ने पॉलीहाउस निर्माण के लिए बैंक में ऋण के लिए आवेदन किया है। सलूणी के किसानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संगठित होकर अपनी हर समस्या का हल किया जा सकता है। सच है कि एकता में बल है।

(लेखक नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में खंड विकास अधिकारी हैं।)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड-4, तल-7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

अनार की पैदावार बढ़ाने की तकनीक

डॉ. राकेश कुमार प्रजापति

अनार के बारे में कहावत है - "एक अनार सौ बीमार"। यानी अनार का एक-एक दाना पौष्टिकता से भरपूर है। अनार में विटामिन ए, बी, सी के साथ-साथ प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, लोहा तथा खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अनार के रस में विटामिन सी, बी, पैन्थोथिनिक एसिड, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। इसके रस में पाये जाने वाले तत्व हृदय रोग, प्रोस्टेट कैंसर तथा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में लाभदायक हैं। अनार के बीजों का तेल स्तनकैंसर में बेहद प्रभावी होता है। इस लेख में अनार की खेती से सम्बद्ध विविध पहलुओं की चर्चा की गई है।

अनार (प्रोग्रेनेट) शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के पोनाम (सेब) और ग्रेनेटस (बीज) से हुई। बाइबिल में अनार का सात फलों के साथ उल्लेख किया गया है, जो इजराइल को भगवान ने उपहार स्वरूप प्रदान किये हैं।

अनार के फल का आकार लगभग 5-12 सेमी. व्यास का नींबू और ग्रेपफ्रूट के बीच का होता है। अनार का वृक्ष फलदार, सदाबहार, मध्यम आकार का 5-7 मीटर ऊंचा होता है। अनार एक सुपर तथा आदर्श फलों की श्रेणी में गिना जाता है। वृक्ष आकर्षक, पत्तियां छोटी तथा पुष्प कलिकाएं अत्यंत ही सुंदर होती हैं। फूलों का रंग लाल तथा

आकार 3 सेमी. का होता है। अनार रोपण के तीन वर्ष बाद फल लगाने लगता है, किंतु भरपूर उत्पादन 6 से 8 वर्ष पश्चात होता है। प्रतिवृक्ष 100 से 150 फल (भार 18-27 किलो) प्राप्त होते हैं। अनार 25 से 30 वर्ष तक अच्छी फलन देता है। फल वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु में प्राप्त होते हैं क्योंकि फूल मार्च-अप्रैल तथा जुलाई-अगस्त में आते हैं। फूलों तथा फलों में फल मक्खी का भयानक आक्रमण होता है तथा फल फटने भी लगते हैं। इसके पौधे झाड़ी के आकार में होते हैं। इसके फलों को वालस्टा के नाम से पुकारते हैं, जो बेरी का एक रूपांतरित प्रारूप है। फल के अंदर बहुत से बीज होते हैं। इन बीजों

अनार कली अवस्था में





में बीज चोल एक पर्त के रूप में होता है, जिसको खाया जाता है। इसका रंग सफेद-गुलाबी होता है। इसमें प्रोटीन (1.6 प्रतिशत), वसा (0.1 प्रतिशत), खनिज पदार्थ (0.7 प्रतिशत), कार्बोहाइड्रेट (14.6 प्रतिशत), कैल्शियम (0.01 प्रतिशत), फॉस्फोरस (0.07 प्रतिशत), लोहा (0.3 प्रतिशत) के साथ-साथ विटामिन ए, बी तथा सी मुख्य रूप से पाये जाते हैं।

इसमें 12 से 16 प्रतिशत चीनी पाई जाती है, जो सरल तथा पाचनशील होती है। अनार के छिलकों का उपयोग विभिन्न रोगों की दवाइयों के लिए किया जाता है। छिलकों का उपयोग रंग, सोडियम, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, ट्यूबेस्ट, पाउडर तथा कफ की दवाएं बनाने में होता है।

अनार के रस में विटामिन सी, बी, पैन्थोथिनिक एसिड, पोटेशियम, प्रति-आक्सीकार तथा पोली फिनाइल आदि पाये जाते हैं। 100 मिली. जूस में 16 प्रतिशत विटामिन सी की पूर्ति वयस्कों को प्रति दिन हो जाती है। अनार के रस में पाये जाने वाले तत्व हृदय रोग, प्रोस्टेट कैंसर तथा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए लाभदायक है। अनार के बीजों का तेल स्तनकैंसर के लिए अच्छा प्रभावी रहता है।

अनार के जूस का मध्य-पूर्व, ईरान, तथा भारत में पेय के रूप में उपयोग होता है। अमेरिका पूरे विश्व में इसके जूस का व्यापार

करता है। दक्षिण भारत में इसके जूस का उपयोग दही – चावल के साथ मिलाकर खाने में किया जाता है। जंगली अनार के दानों का प्रयोग मसालों के रूप में चटनी और करी बनाने में भारत और पाकिस्तान में पहले से होता था लेकिन पारसियों के आगमन के बाद इसका उपयोग रस, सिरप आदि के रूप में होने लगा। अनार के रस का उपयोग प्राकृतिक फ़ैब्रिक के सूखने के लिए किया जाता है।

जलवायु :- अनार उष्ण जलवायु का फल है। इसकी खेती के लिए शीत ऋतु में गर्म तथा शुष्क वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इसके पौधे पाले के लिए सहनशील होते हैं लेकिन अधिक निम्न तापक्रम में हानि होने की संभावना रहती है। अधिक लंबी शीत ऋतु में इसके पौधे पतियां गिराकर आराम की दशा में चले जाते हैं। फलों के पकते समय शुष्क तथा गर्म मौसम इनमें मिठास

लाता है तथा फलों की अच्छी किस्म पैदा होती है। इसके विपरीत इस समय आद्रता बढ़ने से फलों की निम्न स्तर की पैदावार होती है।

अनार विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जाता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम कही जाती है। क्षारीय मिट्टी में भी इसको सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। पहाड़ियों के समीप वाली भूमि में भी इसको पैदा किया जा सकता है।

अंतर्वर्ती फसलें:- जब तक अनार की फसल व्यावसायिक तौर पर फलन के लिए तैयार नहीं होती, तब तक खाली पड़ी जमीन का उपयोग अतिरिक्त आमदनी के लिए कम बढ़वार वाली सब्जियां, दालें व अन्य फसलें उगाकर ले सकते हैं। अनार के बगीचे में मृदा संरक्षण अति आवश्यक है। इसके लिए काली पॉलीथीन, लकड़ी का बुरादा, सुपाल, मूंगफली के छिलके आदि का उपयोग कर सकते हैं।

कटाई-छटाई :- अनार झाड़ीनुमा पौधा होता है, अच्छा आकार एवं सुडौल पौधा बनाने के लिए कटाई – छटाई बहुत आवश्यक है। अनार में एक तनीय या बहुतनीय छटाई की जाती है। एक तनीय विधि को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे तनाछेदक कीटों में प्रकोप की अधिक संभावनाएं होती

हैं। ऐसे में कई तने रखना आवश्यक हो जाता है। बहुतनीय पद्धति से 3-4 तनों को जमीन से ही बढ़ने दिया जाता है। शेष को निकाल लेते हैं। अतिरिक्त टहनियों को कटाई-छटाई से निकाल देना चाहिए।

अनार की विभिन्न किस्में

गणेश जी. बी. आई. — इस किस्म का विकास 1936 में अलानडी से किया गया तथा 1970 में इसका नाम गणेश रखा गया। फलों का आकार मध्यम होता है। बीज कोमल और गुलाबी बीज चोल और मीठा रस होता है। महाराष्ट्र में इस किस्म ने अनार की खेती में नई क्रांति ला दी है। औसत उपज 8-10 किलो फल प्रति पौधा होती है।

अराक्ता :— गणेश से छोटे फल होते हैं। गहरे लाल रंग के कोमल बीजों वाले होते हैं।

आलडी :— यह किस्म भी पूना के आसपास अधिकांशतः उत्पन्न की जाती है। फल मध्यम आकार वाले, छिलका कुछ हरापन लिए हुए गहरा लाल अथवा गुलाबी पाया जाता है। गूदा खट्टा-मीठा होता है तथा बीज कड़े होते हैं —

घोलक :— यह किस्म अहमदाबाद के आसपास उत्पन्न की जाती है। फूल मध्यम तथा छिलके का रंग हरापन लिए हुए भूरा होता है। गूदा खट्टा — मीठा, रसदार व गुलाबी होता है। इसके बीज आकार में छोटे व मुलायम होते हैं।

स्पेनिश रूबी :— इसके फल छोटे या मध्यम आकार व पतले छिलके वाले हैं। गूदा स्वादिष्ट मीठा एवं लाल होता है।

पेपर शेल :— इसके फल मध्यम आकार व मोटे छिलके वाले होते हैं। गूदा मीठा, सुगंधित रसदार व गुलाबी होता है। बीज मध्यम अथवा बड़े एवं मुलायम होते हैं।

मदुला :— गणेश × गुलसा रोज के क्रॉस से तैयार की गई।

ज्योति :— यह बीजरोपण बेसीन सीडलेस और ठोलक से चयन की गई है जिसे जी. के. व्ही भी कहते हैं। फल मध्यम आकार के पीलापन लिए लाल रंग के होते हैं। बीजावरण लाल और बीज मुलायम होते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 18,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाई गई है।

इसके अतिरिक्त बेलोडु, मस्कट रेड दक्षिणी भारत में तथा कंधारी एवं बेदाना हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाती है। दारु हिमाचल प्रदेश की जंगली किस्म है, जिसमें बीज अनारदाना के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बंगलौर में नरम बीजों की अच्छी गुणवत्ता वाली अनार की एक आशाजनक एफ-1 संकर किस्म पैदा की गई है।

उर्वरक की मात्रा एवं समय

अनार के पूर्ण विकसित पौधे के लिए 600-700 ग्राम नत्रजन, 200-250 ग्राम फास्फोरस और पोटैश तथा 30 किलो ग्राम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद प्रति पौधा देनी चाहिए। गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा बहार उपचार के बाद पहली सिंचाई के समय तथा शेष इसके तीन सप्ताह बाद देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरकों को पोषण जड़ क्षेत्र में देना चाहिए इसके लिये तने से एक मीटर दूरी में खाद व उर्वरक देना चाहिए। इसके बाद हल्की गुड़ाई कर हल्की सिंचाई करें।

सिंचाई :— अनार के पौधे में सूखे को सहन करने की शक्ति होती है। लेकिन अच्छी उपज के लिए सिंचाई करना आवश्यक होता है, नहीं तो फल फटने लगते हैं। बाग रोपण के समय नियमित सिंचाई की आवश्यकता रहती है। एक बार बाग लग जाने पर गर्मियों में 7 दिन एवं सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल बनने तथा फल पकते समय सिंचाई अति आवश्यक है। पानी की कमी से फूल, फल गिरना और फल फटने जैसी समस्याएं पकते समय होती हैं। सिंचाई भूमि के प्रकार और मौसम पर भी निर्भर करती है।

वृद्धि कारकों का उपयोग

वृद्धि — हारमोनों का उपयोग पौधे के विभिन्न उम्र पर करने पर अच्छे गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। वृद्धि हारमोन की शक्ति पी. पी. एम. में व्यक्त की जाती है जिसका तात्पर्य है दस लाख भाग में एक भाग (1:10,00,000) जैसे 1 पी. पी. एम. 1 ग्राम हारमोन की मात्रा को 10,00,000 मिली. पानी या 1 मि.ग्रा. मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलने से इस शक्ति का घोल तैयार हो जाता है। वृद्धि हारमोन को पहले सोडियम हाइड्रॉक्साइड में घोलना चाहिए, फिर उचित शक्ति के लिए पानी मिलाना चाहिए। एन. ए. ए. को पहले एल्कोहल में घोला जाता है।

बहार उपचार

अनार में सामान्यतः तीन बहारें आती हैं—

- मृग बहार (जून-जुलाई), ● हस्त बहार (सित-अक्टू), ● आम्बे बहार (जनवरी-फरवरी)। बहार का चुनाव मौसम, सिंचाई व बाजार की मांग के अनुसार करना चाहिए। शुष्क क्षेत्रों में मानसून और मृदा नमी को देखते हुए मृग एवं हस्त बहार की फसल ली जाती है। बहार नियंत्रण के लिए पौधे की उम्र के अनुसार डेढ़ से दो माह के लिए सिंचाई बंद कर देते हैं तथा हल्की गुड़ाई कर जड़ों को खुला छोड़ देते हैं। जैसे ही पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं पेड़ों में थाले बनाकर उसमें खाद एवं उर्वरक देकर सिंचाई कर देते हैं।

फलों का फटना

- फलों के फटने के निम्न कारण होते हैं ;
- बोरान, कैल्शियम और पोटैश की कमी होना।
- नमी का असंतुलित होना (अनियमित सिंचाई करना)।
- फल की वृद्धि एवं विकास के समय वायु का तापमान बढ़ जाना।
- वातावरणीय नमी और मृदा नमी में ज्यादा अंतराल होना।

उपाय

- बोरेक्स का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
- नियमित रूप से सिंचाई करें।
- पलवार का उपयोग करें।
- जेब्रोमिक एसिड (जीए3) का 15 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

फल तोड़ना

फूल से 5-6 महीने के बाद फल पकने लगते हैं। पके फलों को तुरंत तोड़कर पौधे से अलग कर लेना चाहिए अन्यथा वह फटने लगते हैं। पकने से पहले तोड़े गए फलों में भण्डारण क्षमता अच्छी नहीं होती। वह जल्दी ही सड़ने लगते हैं। फलों की बाहरी पर्त पीलापन और धातु की आवाज देने लगे, तभी तोड़ लेना चाहिए।

उपज

अनार का पेड़ लगाने के चौथे वर्ष से फल देने लगता है। एक अच्छे 8-10 साल पुराने पेड़ से 18-20 टन/ हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। पेड़ की उपज 25-30 वर्ष बाद कम होने लगती है।

प्रथम वर्ष तक फसल की देखभाल

नर्सरी से पौध को मुख्य जगह पर लगाने से पहले गद्दों को कैल्शियम हाईपोक्लोराइड (100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से) उपचारित कर लेना चाहिए। जिन जगहों पर स्केब रोग का प्रकोप अधिक है, वहां पर एक छिड़काव थायोफिनेर मिथाइल (0.15 प्रतिशत) का एक सप्ताह पर कर सकते हैं।

फसल ना होने के समय (खाली समय) में 3-4 महीने का अंतर होता है। इस दौरान बोर्डो मिश्रण (1.0 प्रतिशत) का और स्ट्रेप्टोसाइक्लीन (250 पी.पी.एम) का हर महीने पर एक-एक छिड़काव करना चाहिए। अनार में ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। यदि ड्रिप नहीं है तो सिंचाई 8-10 दिन के अंतर पर गर्मियों में, 13-14 दिन के अंतर पर बरसात में, यदि वर्षा ना हो जाड़े के मौसम में 17-18 दिन के अंतर पर चाहिए।

रोग प्रबंधन

सरकोस्पोरा फल दाग – प्रभावित फलों पर अनियमित रोग आकार के काले धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाने से बड़े धब्बे का आकार ले लेते हैं।

उपचार :- रोगग्रसित फलों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। 2-3 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर डाइथेन एम-45 या कैप्टान का 2.5 ग्राम / लीटर पानी के साथ मिलाकर फलों के बनने के बाद करें।

फल सड़न :- फलों और वृत्तों पर गोल, काले धब्बे इस रोग के लक्षण हैं। रोग का प्रसार धीरे-धीरे पूरे फलों पर फैल जाता है, सड़े हुए फल मुर्गी के बच्चों की तरह बदबू देने लगते हैं।

उपचार :- फूल बनने के बाद 10-15 दिन के अंतर पर कार्बोन्डाजिम (0.5 प्रतिशत) या डाइथेन एम-45 (0.25 प्रतिशत) या डाइथेन जेड - 78 (0.25 प्रतिशत) का छिड़काव करना चाहिए।

पर्ण दाग (झुलसा) :- इस रोग के लक्षणों में छोटे, अनियमित तथा जलीय दाग पत्ती पर बनते हैं। प्रभावित पत्तियां गिर जाती हैं।

उपचार :- टोपसीन - एम (0.1 प्रतिशत), सल्फेक्स (0.03 प्रतिशत), डाइ-फोलेटान (0.2 प्रतिशत) और डाइथेन एम-45 (0.3 प्रतिशत) के 15 दिन के अंतर पर छिड़काव से यह रोग अच्छी तरह नियंत्रित हो जाता है।

अल्टरनेरिया फल दाग :- छोटे, लाल से भूरे रंग के गोल धब्बे फलों पर प्रकट होते हैं। धब्बे आपस में मिलकर बड़े आकार में बदल जाते हैं और फलों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। फलों के सड़ने से फल खाने लायक नहीं रहते हैं।

उपचार :- सभी प्रभावित फलों को इकट्ठा करके जला देना चाहिये। डाइथेन एम-45 (0.25 प्रतिशत) या कैप्टाफाल (0.25 प्रतिशत) का छिड़काव करना चाहिए।

उकटा सूखा रोग :- यह रोग एक फफूंद के कारण होता है। इसमें पौधे सूख जाते हैं। पत्तियां पीली पड़ कर भूरी हो जाती हैं। तने के बीच का भाग गहरे रंग का हो जाता है।

उपचार :- बलुई लोम मृदा में 4x3 मी. पर बाग लगाना चाहिए। बाग में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। क्लोरोपाइरिफास (0.25 प्रतिशत) के साथ काबोडाजिम (0.2 प्रतिशत) अथवा प्रोपिकोनोजोल (0.15 प्रतिशत) अथवा ट्राइडेफॉरको (0.15 प्रतिशत) को भूमि में तने के पास घोल के रूप में देना चाहिये।

छाल खाने वाले कीट (इंडारबेला टेलरोनिश)

इस कीट की इल्लियां शाखाओं में छिद्र बना लेती हैं। यह कीट तने अथवा शाखाओं को प्रभावित करता है। रोकथाम के लिए छिद्रों

में तार डालकर इल्लियों को नष्ट किया जा सकता है। छिद्रों में पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल में रूई भरने के उपरांत छिद्रों को मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। कार्बोरल (2.5 ग्राम) अथवा क्विनालफॉस (2 मिली लीटर) अथवा मिथामाइल (3.5 ग्राम) प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव प्रभावी रहता है।

सफेद मक्खी (सिफोनिनअस फिलाइरे)


:- वयस्क मादा छोटे गोल आकार के और समूह में सबसे ऊपर की पत्तियों के निचले सतह पर अण्डे देती है। अण्डों से निकले हुए बच्चे पत्तियों पर अपने मुख अंग भेद कर रस चूसते हैं। सबसे अधिक नुकसान मक्खी के द्वारा शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ पैदा करने के कारण होता है। यह पदार्थ फलों के ऊपर परत के रूप में लग जाता है। नम वातावरण में इसमें फफूंद उत्पन्न

हो जाती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। सफेद मक्खी के नुकसान के कारण पत्तियां पीली पड़ कर गिर जाती हैं, तथा टहनियों की वृद्धि भी रूक कर छोटी हो जाती है।

रोकथाम- चमकीले पीले रंग के चिपकने वाले बोर्ड, पोली ब्यूटेन जैसे चिपकने वाले पदार्थ से पौधे की ऊंचाई तक लगाए। अधिक दबाव वाले स्प्रेयर से पानी की तेज फुहार से अण्डे, शहद, इल्लियां, प्यूपा तथा वयस्क धुल जाते हैं। ट्राइजोफस 40 ई. सी. (1.5 मिली/लीटर पानी) अथवा 1.5 मिली मोनोक्रोटोफास + 1 मिली डाइक्लोरोवास 1 लीटर पानी के हिसाब से 8-10 दिनों में दुबारा छिड़काव करें।

मिली बग- वयस्क अण्डाकार मादा जिसमें पूरे शरीर पर मोम जैसा पदार्थ लगा रहता है। छोटे निम्ब और बच्चे पत्तियों और कोमल टहनियों से रस चूसते हैं। पत्तियां मुड़कर पीली हो जाती हैं, जो विषाणु रोग की तरह के लक्षण प्रकट होते दिखाई देते हैं। काली फफूंदी शहद जैसे पदार्थ के ऊपर वृद्धि कर जाती है, जो मिली बग के द्वारा पैदा किया जाता है। अधिक आक्रमण की अवस्था में फल गिरने लगते हैं। बग के द्वारा भूमि में दिए गए अण्डे अगली बहार तक सुसुप्त अवस्था में बने रहते हैं।

नियंत्रण- मिली बग के सफल नियंत्रण हेतु समेकित कीट प्रबंधन अपनाना बहुत ही आवश्यक है। अनार के बाग के



आसपास जो पौधे मिली बग के संरक्षण का काम करते हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। 5 सेमी. मोटी चौड़ाई की ग्रीस की परत मुख्य तने में पोतना चाहिए, जिससे मिली बग पेड़ पर चढ़ ना सके। क्राउलर (वयस्क) अवस्था पर दवाओं का छिड़काव अच्छा एवं प्रभावी रहता है। फोरेट 10 जी (20 ग्राम/ पौधा) को भूमि में डालने पर नियंत्रण किया जा सकता है।

स्केल कीट :- स्केल कीट शाखाओं और फलों में छोटे काले फूले हुए दाग, धब्बे पैदा करते हैं। वयस्क और प्यूपा, फलों लगी कोपल टहनियों का रस चूसते हैं जिससे शाखाएं सूखने लगती है। अत्याधिक कीटों के आक्रमण के कारण पूरा पौधा ही सूख जाता है। कीटों के द्वारा उत्पन्न शहद जैसे पदार्थ के कारण उसमें काली फफूंदी उत्पन्न हो जाती है।

नियंत्रण- प्रभावित पौधों की टहनियों को काट कर अलग कर दें।

- अन्य पौधे जिसमें स्केल कीट हो या रहते हों बाग के पास से हटा देना चाहिए।
- रोगार (0.1 प्रतिशत) अथवा क्विनालस्फास (0.06 प्रतिशत) का 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें।

(लेखक कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में वैज्ञानिक, पौध संरक्षण हैं।)
ई-मेल : rkiipr@yahoo.com

ग्रामीण भारत में औषधीय खजाना

मनोज कुमार एवं ओम प्रकाश जोशी



बाजार में बिकने वाले पुनर्नवा का उत्पाद

मनुष्य और वनस्पति का पारस्परिक संबंध बहुत पुराना है। अपने दैनिक जीवन में तो हम निरन्तर पौधों का उपयोग करते हैं लेकिन पौधों से बनने वाली अनेक दवाओं से हम अनजान ही रहते हैं।

भारत में चिकित्सा के लिए जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करने की परम्परा लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। अभी भी देश में लाखों-करोड़ों लोग इस परम्परा पर निर्भर हैं। लगभग 800 से 900 औषधीय जड़ी-बूटियां ऐसी हैं जिनका अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार होता है। इनमें से लगभग 700 वनों से प्राप्त होती हैं। औषधीय प्रजातियों की कुल आवश्यकता का केवल 25 प्रतिशत ही कृषि द्वारा उत्पादित किया जाता है और शेष को प्राकृतिक स्रोतों जैसे पहाड़ों, वनों, चरागाहों, परतीभूमियों एवं खेत के खरपतवारों से ही एकत्रित किया जाता है। प्राकृतिक स्थानों में इन वनस्पतियों की सम्भावना देश के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक है।

राजस्थान हमारे देश का एक ऐसा शुष्क क्षेत्र है जहां सबसे कम वर्षा होती है परन्तु वहां भी अनेक प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनसे जीवनदायी दवाएं बनती हैं। कुछ वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से विभिन्न स्थानों पर जैसे खेत एवं खलिहान में या आसपास के क्षेत्रों में, बंजर भूमि में, घर के आसपास या फिर

गोचर एवं बीड़ में प्राकृतिक रूप से या खरपतवार के रूप में पायी जाती हैं।

चिरचिटा / लटजीरा:— अंग्रेजी नाम रफशौफ तथा स्थानीय नाम ऊंडा कांटा, अंधा जाला। यह एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जोकि सम्पूर्ण भारतवर्ष में बारानी क्षेत्रों, बंजर स्थानों तथा जंगलों में बड़े वृक्षों के नीचे पाया जाता है। इसका तना धारीदार, हल्का हरा या गुलाबी रंग का एवं रोएंदार होता है। पत्ते लम्बाई लिए हुए कुछ गोल और नोकदार होते हैं। फूल छोटे एवं हरे रंग के होते हैं।

इसकी जड़ को पानी में घोलकर पीने से पथरी रोग में लाभ पहुंचता है। इसकी टहनी से दातुन करने से दांतों के रोग दूर होते हैं। चोट, रक्तस्राव या घाव पर इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से आराम मिलता है।

पुनर्नवा:— अंग्रेजी नाम होग वीड तथा स्थानीय नाम सांही, चिनावरी। यह पौधा भारत में लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है। यह बहुधा खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसकी शाखाएं जमीन



चामकस का पौधा



बाजार में बिकने वाले बड़ा गोखरू का उत्पादन

पर भी फैलती हैं एवं ऊपर की ओर भी खड़ी रहती हैं। इसके फूल गुच्छे के रूप में एक लम्बे तने पर स्थिर होते हैं एवं गुलाबी रंग के होते हैं। इसका फल अंडाकार होता है।

यह मूत्रवर्धक एवं कब्जनाशक पौधा है। इसका उपयोग बहुधा गुर्दे, हृदय, दमा, खांसी, अस्थमा, कमजोरी, पीलिया, पेट के रोग और आंखों के रोग के लिए लाभदायक होता है।

इन्द्रायनः— अंग्रेजी नाम बिटर एपल और स्थानीय नाम तुम्बा। यह पौधा ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। इसकी दूर-दूर तक घनी बेलें रेत को उड़ने से रोकने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसकी बेल पर नर और मादा दो प्रकार के पीले रंग के फूल लगते हैं। प्रारम्भ में यह हरे रंग के होते हैं तथा पकने पर पीले तथा सफेद रंग की धारियों वाले होते हैं।

इससे गुणकारी औषधि जुलाब तैयार की जाती है। जड़ का चूर्ण पीलिया, मूत्र रोग, पेट साफ करने, मानसिक तनाव व गठिया आदि रोगों के लिए लाभदायक साबित होता है।

शंख पुष्पीः— इसका स्थानीय नाम सिन्तरी है। यह वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली खरपतवार है जो प्रायः रेतीली जमीन पर पायी जाती है। इसकी पत्तियां छोटी, लम्बी व आगे से नुकीली होती हैं। इसका फूल हल्के गुलाबी सफेद रंग का होता है। इसका फल पूरी तरह से गोल नहीं होता है। शंख पुष्पी बुद्धिवर्धक, स्मरण शक्तिवर्धक होती है।

चामकसः— इसका स्थानीय नाम भी चामकस है। यह पौधा भी वर्षा ऋतु में अधिक उगता है। ज्यादातर यह कंकरीली भूमि पर सड़क के किनारे शुष्क जमीन पर अधिक पाया जाता है।

सम्पूर्ण पौधा बलवर्धक है एवं गोनोरिया में लाभदायक है। इसकी पत्तियों के चूर्ण को बड़ा गोखरू के बीजों के चूर्ण में मिलाकर लेने से मधुमेह में आराम मिलता है।

बड़ा गोखरूः— इसका स्थानीय नाम भी बड़ा गोखरू है। यह पौधा प्रायः खेतों के किनारे बंजर और रेतीली जमीन पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में यह बहुत अधिक पाया जाता है।

इसके फल का पाउडर बनाकर दूध के साथ लेने से कमजोरी दूर होती है। यह एक टॉनिक की तरह काम करता है। पथरी और मूत्राशय के रोग में भी लाभदायक है। इसकी पत्तियों की सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। चर्म रोग, हृदय रोग, बवासीर और कुष्ठ रोग के लिए भी लाभदायक है।

बलः— अंग्रेजी नाम कन्दीमेलो तथा स्थानीय नाम बल ही है। यह एक झाड़ीदार पौधा है। इसके तने पर सफेद रूई जैसे रोयें पाए जाते हैं। पत्तियां छोटी, हृदयाकार, दंतुरित किनारे वाली एवं रोयेंदार होती हैं। फूल पीले रंग के होते हैं। फल गोल चक्राकार एवं कंधी की तरह होते हैं।



बाजार में बिकने वाले बल का उत्पाद



बाजार में बिकने वाले बियानी या सरफोका का उत्पाद

सम्पूर्ण पौधे का क्वाथ बार-बार आने वाले ज्वर में उपयोगी माना जाता है। जड़ की छाल का पाउडर मूत्र एवं स्नायु तंत्र संबंधी रोगों में लाभदायक है।

मकोयः— अंग्रेजी नाम ब्लैक नाइट शोड तथा स्थानीय नाम मकोय है। इसका पौधा मिरची के पौधे की तरह लगता है। इसके पत्ते गोल व लम्बे होते हैं। पुष्प छोटे, सफेद रंग के और गुच्छे में होते हैं। इसके फल छोटी गूदी के समान बहुत छोटे होते हैं। कच्चे फल हरे रंग के होते हैं व पकने पर बैंगनी रंग के हो जाते हैं।

यह पौधा चर्म रोग, खुजली, दाद, गठिया, यकृत, और तिल्ली के रोगों में उपयोगी साबित होता है। पौधे का लेप कटे एवं जले हुए भाग, जोड़ों, फोड़े एवं फुंसी पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है।

सरफोकाः— अंग्रेजी नाम टेपरोशिया तथा स्थानीय नाम बियानी है। इसकी पत्तियां सपत्रक होती हैं। इसके पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। फली सीधी, चपटी एवं रोएंदार होती हैं।

सम्पूर्ण पौधा पेट साफ करने, श्वास नली की सूजन दूर करने, त्वचा रोग, बवासीर, लीवर एवं गुर्दा रोग इत्यादि के उपचार में काम आता है। इसकी फली का रस शरीर की जलन व दर्द मिटाने तथा बीजों से प्राप्त तेल खुजली और एग्जीमा रोग ठीक करने के काम आता है।

गोखरू, त्रिकंटकः— अंग्रेजी नाम लेंड केलेट्रापस तथा स्थानीय नाम कांटी है। यह प्राकृतिक रूप से रेतीली एवं कंकरीली जमीन

पर उगने वाला मरुस्थलीय पौधा है। यह खेतों के आसपास और बंजर भूमि पर वर्षा ऋतु में बहुधा पैदा होता है। पत्तियां चने के पत्तों की तरह लेकिन कुछ बड़ी होती हैं।

इसकी जड़ शीतल, पौष्टिक, और भूख बढ़ाने वाली है। पत्ती के क्वाथ से कुल्ला करने पर मुख रोग एवं मसूड़ों की सूजन में कमी आती है।

इस तरह हम देखते हैं कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी औषधीय पौधों की उपलब्धता बहुत अधिक है। परन्तु इनके बारे में जानकारी और पौधे की पहचान न होने के कारण किसान भाई इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। परन्तु गुणी वैद्यजन एवं अन्य उत्पादक कई दशकों से इन औषधीय पौधों का उपयोग कर रहे हैं तथा लाभ कमा रहे हैं। इन वनस्पतियों को उसी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण/किसान भी पहचानकर इन्हें एकत्रित करके तथा सुखाकर एवं बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तकनीकी अधिकारी हैं।)

ई-मेल: hariomsaini@yahoo.co.in

पाठकों/लेखकों से अनुरोध

आप “कुरुक्षेत्र” पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले।

आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। हमारा पता है - वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110001

आप हमें लेख ई-मेल भी कर सकते हैं।

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

जुझारू महिला किसान ने की जन जागरण की पैरवी

जितेन्द्र द्विवेदी

लल्लादेवी एक आम ग्रामीण महिला हैं। वह पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं। फिर भी उन्हें भीड़ से अलग करता है उनका जुझारूपन और समाज के लिए कुछ करने का जज़्बा। तमाम विपरीत परिस्थितियों और विरोधों के बावजूद वह आज न केवल सिर उठाकर अपना घर-परिवार चला रही हैं बल्कि शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर लोगों को संगठित भी कर रही हैं। इस महिला हलधर किसान ने खेतों के साथ-साथ अपने गांव में भी जनजागरण के बीज बो दिए हैं।

जुझारू महिला किसान लल्लादेवी उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर से हैं। इनके पति राम उजागिर विगत 25 वर्षों से मुम्बई में पल्लेदारी का कार्य करते हैं। इनके परिवार में 5 लड़के 2 लड़कियां व एक बहू है। इनके पति के नाम से 3 बीघा कच्ची भूमि है। परिवार में खेती का कार्य लल्लादेवी व उनके लड़के की देखरेख में ही होता है।

मायके में बचपन खेतों व खलिहानों के बीच बीता। वह कभी स्कूल नहीं गयी। माता-पिता घरेलू कार्यों में एवं जानवरों की देखभाल में इनका सहयोग लेते थे। इनको याद भी नहीं है कि

इनकी शादी कब हुई, पर ये बताती हैं कि शादी के 11 वर्ष बाद इनका गौना हुआ था।

ससुराल में ससुर कृषि कार्य व मजदूरी करके परिवार की जीविका चलाते थे। परिवार के पास मात्र एक कच्चा मकान था जिसमें कठिनाई से जीवन व्यतीत होता था। ये अपने घरेलू कार्यों के साथ-साथ खेतों पर भी कार्य करने लगी। 5वें वर्ष इनके ससुर जी का देहान्त हो गया जिससे खेती के कार्यों में इनकी जिम्मेदारी बढ़ गयी। इन्होंने अपने देवर की शादी की। घर के सामने की गड़ही से मिट्टी निकाल कर घर की दीवाल बनायी, खपड़े



पाथकर 5 कमरे का कच्चा मकान तैयार किया। 8 वर्षों के दौरान परिवार में बंटवारा हो गया, सास भी नहीं रही, पति भी मुम्बई में कमाने चले गये।

वर्तमान में लल्लादेवी अपने खेतों में हल चला लेती हैं। वे बताती हैं कि पति के परदेस जाने के बाद जब खेती की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयी तो खेत की जुताई होने में कठिनाई होने लगी। फिर हमने निर्णय लिया कि भोर में स्वयं हल चलाकर अपनी खेती को जोता जाये। अतः अपने बच्चों को साथ लेकर तड़के में खेती की जुताई का कार्य करने लगीं। दिन में दूसरों के खेतों पर मजदूरी का कार्य भी करती रही। फिलहाल लल्लादेवी 3 बीघा कच्ची भूमि पर खेती करने के साथ 7 बीघा खेत अधिया पर लेकर खेती का कार्य करती हैं। वर्ष में अपने अतिरिक्त फसल को बनिये के हाथों बेच देती हैं और खेतों की आवश्यक सामग्री की भी खरीद करती हैं। ये बताती हैं कि चारा मशीन, हल, बैल, भूमि, मकान सभी पर कानूनी मालिकाना हक पति का है। यहां की मजदूरी दर तीस रुपये प्रतिदिन है। मजदूरी से कमाये रुपये पर भी वे कभी मालिकाना हक नहीं जताती।

नौ साल पहले लल्लादेवी महिला स्वयंसहायता समूह से जुड़ी और 10 रुपये मासिक बचत जमा करने लगी। समूह से जुड़ने के एक साल बाद पंचायत चुनाव में प्रधान पद हेतु सामान्य सीट पर सवर्ण वर्ग के विरुद्ध खड़ी हो गयी, जिसके कारण विरोधियों ने इनके घर में आग लगा दी और इनका घर जल गया। प्रधान पद से जीत तो नहीं मिली पर समूह सदस्यों का समर्थन मिला। चुनाव के पश्चात लल्लादेवी जब अपने खेत पर कार्य कर रही थी, गांव के एक दबंग ने इनको अपना खेती का कार्य कराने के लिए बुलाया। लल्लादेवी के मना करने पर उसने गाली-गलौज किया। इसके उपरान्त लल्लादेवी अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के सामने गड़ही से मकान मरम्मत के लिए मिट्टी निकालने का कार्य कर रही थी कि दबंग पक्ष आकर मिट्टी निकालने से रोकने और मारपीट करने लगा। भयवश यह परिवार 10 दिनों तक अपना घर छोड़कर भटकता रहा। वहां के विधायक से पैरवी होने पर यह परिवार घर लौट पाया और अपनी जीविका के लिए संघर्ष करता रहा। परिवार के सदस्यों के रहने के लिए पति राम उजागिर ने बैंक से 4000 रुपये का ऋण लिया जिसकी अदायगी लल्लादेवी ने की।

इन सब परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के आरोह अभियान ने उस दौरान लोक समिति का गठन करवाया जिसमें लल्लादेवी अध्यक्ष

बनीं। लोक समितियों को संचालित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर लोक अधिकार समिति का भी गठन हुआ। जिसकी मासिक बैठकों में पंचायत स्तरीय समस्याओं की चर्चा लोक अधिकार समिति में की जाने लगी और समस्याओं का निराकरण संगठित रूप से होने लगा जिसमें भूमि पट्टा, भूमि पर कब्जा, शोषण के विरुद्ध सामूहिक पहल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहल आदि शामिल हैं। परिणामस्वरूप लोग संगठित होते गए। समय के साथ-साथ लोक अधिकार समिति के बैनर तले लल्लादेवी लोक पैरवी का नेतृत्व करने लगी। समुदाय में आने वाली समस्याओं के समाधान की पहल ग्राम पंचायत से प्रारंभ होकर, विकास खण्ड से जिलास्तर तक करने लगीं। महिलाओं की अगुवाई करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर नारी मंच का गठन हुआ लल्लादेवी जिसकी अध्यक्ष बनी।

आरोह अभियान में महिला किसानों की पहचान व उनके अधिकारों के लिए इन्होंने आरोह यात्रा का ग्राम पंचायत, जिला व प्रदेश स्तर पर नेतृत्व किया। साथ ही दिल्ली में आयोजित इण्डिया सोशल फोरम 2006 में इन्होंने महिला किसानों की बात रखी। अपने बच्चों की शिक्षा, खेतीबाड़ी और घरेलू कार्यों की व्यस्तता के बावजूद वे माह में औसतन 3 दिन का समय जन-जागरण व पैरवी में देती हैं।

(लेखक गोरखपुर एन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप में मीडिया समन्वयक हैं।)

हमारे आगामी अंक

अप्रैल, 2009—सूचना प्रौद्योगिकी।

मई, 2009—ग्रामीण प्रतिभा।

जून, 2009—स्वयंसहायता समूह।

जुलाई, 2009—ग्रामीण हस्तशिल्प।

अगस्त, 2009—बदलते परिवेश में पंचायतों की भूमिका विषयों पर आधारित होंगे।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि व रोजगार स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।



एगमार्क



खाद्य उत्पादों की शुद्धता एवं गुणवत्ता का प्रतीक
भारत सरकार द्वारा
कार्यान्वित गुणवत्ता प्रमाणन योजना

एगमार्क उत्पादों को निम्न प्रक्रियाओं के पश्चात् पैक किया जाता है ।

कच्ची सामग्री को साफ करना, साफ की गई कच्ची सामग्री का सावधानीपूर्वक निरीक्षण, स्वच्छ वातावरण में वैज्ञानिक तरीके से कच्ची सामग्री का प्रसंस्करण, सुसज्जित प्रयोगशाला में रसायनज्ञों द्वारा प्रत्येक लॉट की जांच, भारत सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग ।

एगमार्क के अन्तर्गत उपलब्ध उत्पाद

दालें

उड़द, मूंग, अरहर, चना, रोस्टेड चना ।

साबुत मसाले

काली मिर्च, मेथी, सरसों, सौंफ, जीरा, हल्दी फिंगर एवं बल्ब, पोस्त

पिसे मसाले

मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, करी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सांभर पाउडर, रसम पाउडर, मटन मसाला, सब्जी मसाला, चिकन मसाला, फिश मसाला, गर्म मसाला, अचार मसाला, मिक्स मसाला इत्यादि ।

वनस्पति तेल


सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल इत्यादि ।

आटा उत्पाद

गेहूं का आटा, मैदा, सूजी

दुग्ध उत्पा

घी, क्रीमरी मक्खन



कृपया रसीद/कैश मीमो/बिल
के लिए आग्रह करें ।

कृषकों/उपभोक्ताओं के
हित में जारी द्वारा:



कृषि विपणन सलाहकार
भारत सरकार
कृषि एवं सहकारिता विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एन.एच.-IV
फरीदाबाद-121001

अधिक जानकारी के लिए देखें
वेबसाइट www.agmarknet.nic.in

कृपया खरीदते समय ध्यान रखें

1. एगमार्क लोगो/रेप्लिका
2. लॉट/बैच नं0
3. एगमार्क लेबल/रेप्लिका क्रम संख्या
4. ग्रेड
5. पैकिंग की तारीख
6. निवल भार
7. बेहतर उपयोग की अंतिम तारीख
8. पैकर का नाम और पता, इत्यादि

इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:-
संबंधित क्षेत्रीय/उपकार्यालय का पता

सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
4/20 आसफ अली रोड, नई दिल्ली -110002
दूरभाष: 011- 23272348, फैक्स: 011-23264635

आर. एन./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2009-11

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.



प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना